भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-347
जिसका उत्तर 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान किया जाना

*347.**श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः**
श्रीमती रमा देवीः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार विद्युत के वितरण हेतु एक क्षेत्र विशेष में केवल एक ही लाइसेंसधारी कार्य कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ एक प्रतियोगी परिवेश किस प्रकार सृजित किया जा सकता है;

(ग) क्या विद्यमान उपबंध उपभोक्ताओं के हितों को प्रभावित करता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)से(घ)- एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

विवरण

विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत लायसेंस प्रदान किये जाने के बारे में लोक सभा में दिनांक 21.3.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 347 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

****

(क)और(ख)- जी, नहीं । विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, किसी विशेष क्षेत्र में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के छठे उपबंध के अनुसार विद्युत के वितरण के लिए एक से अधिक लायसेंसी की अनुमति है जिसे अनुबंध में दिया गया है ।

(ग) और (घ)- विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ, सामान्यतः विद्युत उद्योग का विकास और उसमें प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना तथा उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करना है । भारत सरकार ने इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जिसमें उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करना भी शामिल है, विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का अनुपूरण करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत नीति(एनईपी) और प्रशुल्क नीति तैयार की है ।

****

अनुबंध

विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत लायसेंस प्रदान किये जाने के बारे में लोक सभा में दिनांक 21.3.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 347 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

****

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 से उद्धरण

"उपयुक्त आयोग, किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 15 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान कर सकता है.....

(ख) वितरण लायसेंसी के रूप में विद्युत वितरण के लिए;

परंतु यह कि उपयुक्त आयोग दो अथवा अधिक व्यक्तियों को एक ही क्षेत्र के भीतर उनकी अपनी वितरण प्रणाली के माध्यम से विद्युत के वितरण के लिए लायसेंस दे सकता है, बशर्ते कि एक ही क्षेत्र के भीतर लायसेंस प्रदान करने के लिए आवेदक को, इस अधिनियम के अंतर्गत अन्य शर्तों या अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पूंजी पर्याप्तता, ऋण योग्यता से संबंधित अतिरिक्त अपेक्षाओं, अथवा आचरण-संहिता, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, का अनुपालन करना होगा, तथा ऐसे किसी भी आवेदक, जो लायसेंस प्रदान किए जाने की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, को इस आधार पर लायसेंस देने से इनकार नहीं किया जाएगा कि उसी क्षेत्र में उसी प्रयोजन के लिए पहले से ही एक लायसेंसी मौजूद है।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- 351
जिसका उत्तर 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

अंतर-क्षेत्रीय पारेषण गलियारे

†*351. **श्री प्रदीप कुमार सिंहः**
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्लः
क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अंतर–क्षेत्रीय पारेषण गलियारों की स्थापना हेतु कोई विद्युत प्रणाली विकास कोष की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा विद्युत प्रणाली विकास कोष के अंतर्गत संचित धनराशि का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है/किए जाने का विचार है;

(ग) पूरे देश में विद्युत पारेषण परियोजनाओं/ अंतर–क्षेत्रीय पारेषण गलियारों की स्थापना हेतु सरकार के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी धनराशि का निवेश किया जाएगा/निवेश किए जाने का विचार है तथा इनके चालू किए जाने की परियोजना और राज्य–वार निर्धारित समय–सीमा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा कुछ राज्यों की अतिरिक्त विद्युत, विद्युत की कमी वाले राज्यों को प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)से(घ)- एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

विवरण

अंतर-क्षेत्रीय पारेषण गलियारे के बारे में लोक सभा में दिनांक 21.3.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 351 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

****

(क)और(ख)- केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने विनियम, अर्थात् केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम-2010 विनिर्दिष्ट किए हैं और "विद्युत प्रणाली विकास निधि नामक एक निधि गठित की है ।

आयोग द्वारा जारी किए गए विभिन्न विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, आयोग द्वारा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (वास्तविक प्रचालन समय में संकुलन से मुक्त होने के उपाय), विनियम 2009 में "कन्जेशन चार्ज्स एकाऊंट", केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग(अनिर्धारित अन्तरपरिवर्तन प्रभार एवं संबंधित मामले) विनियम, 2009 में "अनिर्धारित अन्तरपरिवर्तन पूल लेखा निधि," और भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता, 2006 में "रिएक्टिव एनर्जी चार्ज्स एकाऊंट" के प्रावधान विनिर्दिष्ट किए गए हैं । संबंधित विनियमों में व्यवस्था है कि इन विनियामक निधियों का रखरखाव आयोग द्वारा समय समय पर अधिसूचना द्वारा निर्देशित किए जाने पर किसी अन्य कंपनी द्वारा किया जाए । इन लेखों का रख-रखाव एवं प्रचालन क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों (आरएलडीसी) द्वारा किया जाता है । इन विनियामक लेखों में उपलब्ध अधिशेष को एक साथ रखने के लिए विद्युत प्रणाली विकास निधि(पीएसडीएफ) की परिकल्पना की गई है ।

सीईआरसी(विद्युत प्रणाली विकास निधि), विनियम, 2010 के अनुसार, पीएसडीएफ का उपयोग केंद्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट संगत विनियमों के अंतर्गत अनुमेय प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है । स्कीम, जिसके लिए धनराशि दी जा सकती है, के प्रकार को दर्शाते हुए संबंधित विनियमों के प्रावधानों के संगत उद्धरण **अनुबंध-I** पर हैं।

इस निधि के संचालन के लिए प्रक्रिया तैयार की जा रही है ।

(ग)- 12वीं योजनावधि के लिए भावी योजना के अनुसार पारेषण प्रणाली हेतु कार्यक्रम नीचे सारणी में दिया गया है:

क्रम सं.	**वोल्टेज स्तर**	**12वीं योजनावधि के दौरान संभावित वृद्धि**	
		पारेषण लाइनें(सीकेएम)	**उप केंद्र(एमवीए)**
एसी प्रणाली			
1	220 केवी	35000	76000
2	400 केवी	38000	45000
3	765 केवी	27000	149000
कुल (एचवीडीसी प्रणाली को छोड़कर)		**100000**	**270000**
एचवीडीसी प्रणाली		7440	12750

12वीं योजना के दौरान पारेषण प्रणाली के विकास के लिए कुल 2,00,000 करोड़ रूपये तक की निधि की आवश्यकता अनुमानित है । 12वीं योजनावधि के दौरान संयोजन हेतु नियोजित अंतर क्षेत्रीय पारेषण संपर्कों की सूची **अनुबंध-II** पर है।

(घ)- देश के अधिकतर राज्यों में विद्युत की समग्र कमी है । विद्युत की यह कमी, विद्युत की मांग और उपलब्धता पर निर्भर करते हुए राज्य दर राज्य, माह-दर-माह और दिन-प्रति-दिन-आधार पर, भिन्न-भिन्न होती है । अवधि के दौरान, कुछ राज्यों में विद्युत की आवश्यकता और उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, मौसमी आधार पर अथवा महीने में कुछ दिनों के लिए, अथवा किसी दिन/वर्ष में कुछ घंटों में लिए, विद्युत अधिशेष होती है । राज्य सामान्यतः इस अधिशेष विद्युत का निस्तारण पावर एक्सचेंजों, ट्रेडिंग लाइसेंसधारियों और द्विपक्षीय करारों के माध्यम से करते हैं ।

विद्युत की कमी वाले राज्यों में अधिशेष विद्युत का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य के साथ-साथ (i) दक्षिणी ग्रिड का एनईडब्ल्यू ग्रिड के साथ समक्रमिक इंटरकनेक्शन, (ii) 12वीं योजना के दौरान 38,000 मेगावाट की अतिरिक्त अंतर क्षेत्रीय पारेषण क्षमता का सृजन, (iii) विद्युत के प्रचुर उत्पादन के क्षेत्रों से विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत के अंतरण के लिए उच्च क्षमता के पारेषण गलियारों सहित अंतर-राज्यीय पारेषण लाइनों का सुदृढ़ीकरण/विकास, (iv) पावर एक्सचेंजों की स्थापना करना, (v) ओपन एक्सेस का प्रचालनीकरण करने के लिए विनियम आदि शामिल हैं ।

****

अंतर-क्षेत्रीय पारेषण गलियारे के बारे में लोक सभा में दिनांक 21.3.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 351 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

****

वित्तपोषित की जा सकने वाली स्कीमों के प्रकार दर्शाने वाले संबंधित विनियमों के प्रावधान निम्नलिखित हैं-

(i) यूआई पूल लेखाः[संदर्भः दिनांक 30.3.2009 के केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग(अनिर्धारित अंतर्संपर्क प्रभार एवं संबद्ध मामले) विनियम, 2009 ।

विनियम 11 - यूआई के माध्यम से एकत्रित निधि का अनुप्रयोग

(1) उत्पादन स्टेशनों तथा लाभग्राहियों के अनिर्धारित अतर्संपर्क प्रभारों के दावों के अंतिम निपटान के बाद यूआई पूल लेखे में शेष राशि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए अनुसार एक अलग निधि में अंतरित की जाएगी और इसका उपयोग आयोग की पूर्व अनुमति से निम्नलिखित में से किसी एक अथवा दोनों गतिविधियों के लिए किया जाएगाः

(क)- नीतिगत महत्व की पारेषण स्कीमों में निवेश करना, बशर्ते कि केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से ऐसी नीतिगत महत्व की अंतर्राज्यीय पारेषण स्कीमों की पहचान करेगी जिनका इष्टतम स्तर तक उपयोग नहीं किया जा रहा है, और प्रारंभिक वर्षों में पूंजीगत लागत का भुगतान करने के लिए आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी ।

बशर्ते कि, इसके अतिरिक्त जब नीतिगत महत्व की पारेषण स्कीमों में शामिल ऐसी पारेषण लाइन अथवा पारेषण प्रणाली का उपयोग, उपयोग के इष्टतम स्तर पर पहुँचे, तो ऐसी स्कीम की लागत आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विधि के अनुरूप स्कीम के उपयोगकर्ताओं से वसूली जाएगी ।

(ख) ग्रिड सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों द्वारा तैयार की गई प्रक्रिया के अनुरूप, इनके द्वारा चिन्हित निम्न ग्रिड फ्रिक्वेंसी के दौरान " भार उत्पादन संतुलन " सहित सहायक सेवाएं उपलब्ध कराना परंतु ये सेवाएं इस तक ही सीमित नहीं रहेंगी ।

2) इस विनियम के खंडों के अधीन विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए आबंटन योग्य निधि की राशि का निर्णय समय-समय पर आयोग द्वारा किया जाएगा ।

(ii) रिएक्टिव इनर्जी एकाऊंटः [संदर्भः दिनांक 28.4.2010 के केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010]

पूरक वाणिज्यिक तंत्र का पैरा 13ः

प्रतिवर्ष 31 मार्च तक सभी वीएआर प्रभारों का भुगतान करने के बाद क्षेत्रीय रिएक्टिव लेखे में शेष धन राशि का इस्तेमाल एसएलडीसी प्रचालकों के प्रशिक्षण और इसी प्रकार के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जो संबंधित आरपीसी द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार

संबंधित क्षेत्रीय ग्रिडों के प्रचालन में सुधार करने/सुचारू रूप से प्रचालन करने में सहायक होगा ।

(iii)कन्जेशन चार्ज्स एकाऊंटः[संदर्भः दिनांक 28.4.2010 के केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग(भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010]

12. कन्जेशन चार्ज्स का उपयोगः विनियम 8 में उल्लिखित लेखा में घटकों से एकत्रित किए गए कन्जेशन चार्ज्स की अवितरित राशि का उपयोग, आयोग के पूर्व अनुमोदन से, जिसमें विनियम 8 के अंतर्गत अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, अंतर क्षेत्रीय संपर्कों का इष्टतम उपयोग, विशेष सुरक्षा स्कीमों की स्थापना, शंट कैपेसिटरों की स्थापना, आदि के लिए विशिष्ट प्रणाली अध्ययन करने सहित कन्जेशन मुक्त करने के लिए किया जाएगा, किंतु इन तक सीमित नहीं होगा ।

बशर्ते कि, क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों/किसी अन्य कंपनी जिसे इस धनराशि के अनुरक्षण और प्रचालन का कार्य सौंपा गया है, को अवितरित राशि और उसके उपयोग का ब्यौरा देते हुए छमाही आधार पर आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी ।

(i) पावर एक्सचेंज कन्जेशन राशिः [संदर्भः दिनांक 20.1.2010 के केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2010]

33. विद्युत एक्सचेंज कन्जेशन राशि प्रबंधन

(i) विद्युत एक्सचेंज बाजार के बिखराव के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के बाजार मूल्यों में अंतर से उत्पन्न कन्जेशन राशि में विनिहित किया जाए ।

यह कन्जेशन राशि, पावर एक्सचेंज द्वारा एक अलग लेखे में रखी जाएगी, जिसे आयोग के निदेशानुसार अगले कार्यदिवस को विनियामक निधि में अंतरित करना होगा ।

बशर्ते कि, जब तक कि उक्त कथित निधि का सृजन नहीं कर लिया जाता, कन्जेशन राशि राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र के लेखे में अंतरित की जाएगी और ऐसी निधि सृजित कर लिए जाने पर एनएलडीसी कंजेशन राशि ऐसी निधि के पक्ष में अंतरित कर देगा ।

(ii) कन्जेशन राशि निधि का उपयोग आयोग के निदेशों के अनुरूप किया जाएगा । आयोग निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए करने पर विचार कर सकता हैः-

(क)- वीएआर कंपेसेटर्स, सीरीज कंपेसेटर्स और अन्य प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा जेनेरेटर्स की स्थापना ।
(ख)- कन्जेशन दूर करने के लिए अतिरिक्त पारेषण क्षमता का सृजन ।
(ग)- कन्जेशन में कमी लाने के लिए ग्रिड का तकनीकी अध्ययन कराना ।
(घ)- कन्जेशन राशि निधि को ग्रिड में कन्जेशन में कमी लाने हेतु विशिष्ट परियोजनाओं को रियायती दरों पर ऋण प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थाओं के पास रखा जाए ।
(ङ)- क्षमता निर्माण के उपाय करना और विद्युत एक्सचेंजों के प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देना ।
(च)- विद्युत एक्सचेंजों के प्रतिभागियों के लिए सूचना प्रसार क्रियाविधि विकसित करना ।

(iii) केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र अथवा विद्युत एक्सचेंज, कन्जेशन राशि निधि से उपयोग के लिए उपरिवर्णित प्रयोजनों के अनुसार विशिष्ट प्रस्तावों के साथ आयोग से संपर्क कर सकते हैं ।

****

अनुबंध-II

अंतर-क्षेत्रीय पारेषण गलियारे के बारे में लोक सभा में दिनांक 21.3.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 351 के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

****

12वीं योजनावधि के दौरान संयोजन हेतु नियोजित अंतर क्षेत्रीय पारेषण संपर्कों की सूची

12वीं योजना के लिए नियोजित अंतर क्षेत्रीय पारेषण संपर्कों का ब्यौरा
अंतर क्षेत्रीय संपर्क
पूर्व क्षेत्र- उ. क्षेत्रः
गया-वाराणसी 765 केवी एस/सी
बाढ़-गोरखपुर 400 केवी डी/सी क्वाड
सासाराम-फतेहपुर 765 केवी एस/सी-लाइन#2
पू.क्षे.-प. क्षेत्रः
रांची-प. क्षेत्र(बिलासपुर)सीपत पूलिंग प्वाइंट 765 केवी एस/सी वाया धर्मजयगढ़
रांची-धर्मजयगढ़ 765 केवी एस/सी
झारसुगुडा-धर्मजयगढ़ 765 केवी डी/सी
पू. क्षे.-पूर्वोत्तर क्षे.:
बोंगाईगांव-सिलिगुड़ी 400 केवी डीसी अलीपुरद्वार क्वाड एलआईएलओ किए जाने हेतु
उ.क्षे.- प. क्षे.
आगरा-ग्वालियर 765 केवी एस/सी लाइन-1 765 केवी पर (पूर्व में 400 केवी पर)
आगरा-ग्वालियर 765 केवी एस/सी लाइन-2 765 केवी पर (पूर्व में 400 केवी पर)
ग्वालियर-जयपुर 765 केवी एस/सी# 1
ग्वालियर-जयपुर 765 केवी एस/सी# 2
12वीं योजना के लिए नियोजित अंतर क्षेत्रीय पारेषण संपर्कों का ब्यौरा
अंतर-क्षेत्रीय संपर्क
आरएपीपी सी एंड डी-शुजालपुर 400 केवी डी/सी
चम्पा-कुरूक्षेत्र+/- 800 केवी 6000 एमडब्ल्यू एचवीडीसी बाइपोल लाइन, चरण- ।
प. क्षे.-द. क्षे.:
नरेन्द्र(कुडगी) (जीआईएस)- कोल्हापुर (न्यू) 765 केवी डी/सी लाइन (प्रारंभ में 400 केवी पर चार्ज्ड)
रायचुर-शोलापुर 765 केवी एस/सी# 1
रायचुर-शोलापुर 765 केवी एस/सी# 2
पूर्वो.क्षेत्र/पू. क्षे.-उ.क्षे/प. क्षे.
विश्वनाथ चरियाली-आगरा± 800 केवी, 3000 मेगावाट एचवीडीसी बाइपोल
अलीपुरद्वार में नये पूलिंग स्टेशन पर ± 800 केवी विश्वनाथ चरियाली का एलआईएलओ -आगरा एचवीडीसी बाइपोल और दूसरे 3000 मेगावाट एचवीडीसी का संयोजन

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- 356
जिसका उत्तर 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत क्षेत्र में लोकपाल

+*356. श्री एस॰ अलागिरीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम स्थापित किए जाने और राज्यों के राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा लोकपाल नियुक्त किए जाने के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं तथा उनका कार्यक्षेत्र क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और लोकपाल द्वारा कितने मामलों की जांच की गई और कितने फैसले किए गए;

(ग) उपरोक्त में से कितने फैसले विद्युत उपभोक्ताओं के पक्ष में किए गए; और

(घ) विद्युत क्षेत्र में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और लोकपाल के कार्यकरण की जांच करने हेतु मौजूदा निगरानी प्रणाली/तंत्र क्या है और उनके द्वारा की गई निगरानी और अब तक प्राप्त किए गए परिणामों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)से(घ)- एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

विवरण

विद्युत क्षेत्र में लोकपाल के बारे में लोक सभा में दिनांक 21.3.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 356 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

****

(क)- (i) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 के अंतर्गत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) और लोकपाल की स्थापना के लक्ष्य और उद्देश्यों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता है-

" (5) प्रत्येक वितरण लायसेंसी नियुक्ति की तिथि अथवा लायसेंस प्रदान करने की तिथि, जो भी पहले हो, से छः माह के भीतर राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले यथा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप उपभोक्ताओं की शिकायतों की निवारण के लिए एक मंच स्थापित करेगा ।

(6) कोई भी उपभोक्ता, जो उप-धारा(5) के अंतर्गत अपनी शिकायत के निवारण नहीं होने से असंतुष्ट है तो वह राज्य आयोग द्वारा नियुक्त अथवा नामोद्दिष्ट किए जाने वाले प्राधिकरण, जिसे लोकपाल के रूप में जाना जाएगा, को अपनी शिकायत के सुनवाई के लिए अभ्यावेदन दे सकता है ।

(7) लोकपाल उपभोक्ता की शिकायत का निपटान राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले समय और पद्धति के अंतर्गत करेगा ।

(8) उप-धारा (5),(6) एवं (7) के प्रावधानों, इन उप-धाराओं द्वारा उपभोक्ता को प्रदत्त अधिकारों के अलावा उसके अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे ।"

(ii) केंद्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 176 के अंतर्गत बनाए गए विद्युत नियम, 2005 के खंड 7 (3) के अनुसार, लोकपाल उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटान से पहले, अधिनियम के प्रावधानों, इसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम अथवा उपयुक्त सरकार या उपयुक्त आयोग द्वारा इस संबंध में दिए गए सामान्य आदेशों अथवा निदेशों के अनुसार, उपभोक्ताओं के अभ्यावेदनों पर विचार करेगा ।

आज तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, अरूणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा को छोड़कर, सभी राज्यों ने वितरण लायसेंसियों के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) स्थापित कर लिए हैं तथा लोकपाल की नियुक्ति कर ली है ।

(ख)और(ग)- वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान सीजीआरएफ तथा लोकपाल में जांच किए गए मामलों और विद्युत उपभोक्ताओं के पक्ष में दिए गए निर्णयों से संबंधित ब्यौरा अनुबंध में संलग्न है ।

(घ)- विद्युत अधिनियम, 2005 के खंड 7(4) के अनुसार, लोकपाल द्वारा सुनी गई उपभोक्ता की शिकायतों की प्रकृति, शिकायत की सुनवाई में लायसेंसियों के प्रत्युत्तर तथा पिछले छह माह के दौरान आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 57 के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट निष्पादन मानकों का लायसेंसियों के द्वारा अनुपालन करने के संबंध में अपनी राय के विवरण देते हुए छमाही आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगा ।

छह माह की संबंधित अवधि के पूरा होने के बाद 45 दिनों के भीतर रिपोर्ट राज्य आयोग तथा राज्य सरकार, जो कि इस संबंध में उपयुक्त सरकार है, को भेजी जाएगी ।

****

विद्युत क्षेत्र में लोकपाल के बारे में लोकसभा में दिनांक 21.03.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 356 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

अनुबंध

आंध्र प्रदेश	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	565	230
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	394	176
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

छत्तीसगढ़	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	106	214
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	83	109
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	23	32
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	7	24

अरुणाचल प्रदेश	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

दादरा एवं नगर हवेली	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	शून्य	9	26
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

असम	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

दमन एवं दीव	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	शून्य	शून्य	13
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	8	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	2	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

बिहार	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

दिल्ली	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	625	207
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	147	145
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

चण्डीगढ़ (यूटी)	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	103	128	96
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	1	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	1	उपलब्ध नहीं

गुजरात	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	1012	727
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	741	395
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	15	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	11	उपलब्ध नहीं

गोवा	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	शून्य	6	10
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	3
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	3

केरल	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	172	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

हरियाणा	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	158	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	81	उपलब्ध नहीं
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

मध्य प्रदेश	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	228	106
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	184	26
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	24	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	2	उपलब्ध नहीं

हिमाचल प्रदेश	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	34	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	14	उपलब्ध नहीं
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

महाराष्ट्र	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	633	326
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	398	245
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

जम्मू एवं कश्मीर	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

मणिपुर	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

कर्नाटक	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	2	25
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	1	18
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	21	21
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	17	17

मेघालय	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	1	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	0	उपलब्ध नहीं
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

मिजोरम	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	0	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	0	उपलब्ध नहीं
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

राजस्थान	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	7	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

नागालैंड	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

सिक्किम	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

ओडिशा	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	2177	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	1665	उपलब्ध नहीं
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

तमिलनाडु	2010	2011	20123918
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	20	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

पुडुचेरी	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	29	103	154
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	4
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	4

त्रिपुरा	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

उत्तर प्रदेश	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	10	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	9	उपलब्ध नहीं
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	106	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	93	उपलब्ध नहीं

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (यूटी)	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	शून्य	12	22
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

उत्तराखण्ड	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	2	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	1	उपलब्ध नहीं
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	3	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	2	उपलब्ध नहीं

लक्षद्वीप (यूटी)	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	2	6	3
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

पश्चिम बंगाल	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	1179	1665
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	123	1207
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	782	उपलब्ध नहीं
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	441	उपलब्ध नहीं

पंजाब	2010	2011	2012
सीजीआरएफ द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	105
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	66
लोकपाल द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	उपलब्ध नहीं	33	47
उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णित	उपलब्ध नहीं	10	13

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-358
जिसका उत्तर 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

गैस आधारित विद्युत संयंत्र

†*358. **श्री निशिकांत दुबेः**
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में विभिन्न गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए गैस की मांग और आपूर्ति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गैस आपूर्ति की कमी के कारण विभिन्न गैस आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन अवरुद्ध हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इन संयंत्रों से विद्युत उत्पादन का संयंत्र और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गैस आधारित विद्युत संयंत्रों हेतु पर्याप्त मात्रा में गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)से(घ)- एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

विवरण

गैस आधारित विद्युत संयंत्र के बारे में लोकसभा में दिनांक 21.03.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 358 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) : देश में, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अर्थात् 2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा चालू वर्ष में विभिन्न गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए गैस की मांग और आपूर्ति का संयंत्र तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-क** पर संलग्न है।

(ख) : जी, हां। गैस की आपूर्ति की कमी से मुख्य रूप से हाल ही के विगत समय में केजी डी 6 बेसिन से गैस का उत्पादन घटने के कारण विभिन्न गैस आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन अवरुद्ध हुआ है।

(ग) : पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा चालू वर्ष में देश में गैस आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन का संयंत्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-ख** पर संलग्न है।

(घ) : सरकार विद्युत संयंत्रों को गैस की अतिरिक्त उपलब्धता कराने के लिए सभी प्रयास कर रही है तथा देश में गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाए जाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है और गैस आपूर्ति बढ़ाने तथा विद्युत क्षेत्र सहित घरेलू बाजार के लिए जिसमें आपूर्ति तथा मांग के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा बहु-उद्देश्यीय नीति भी अपनाई गई है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

i) पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी) नवीन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के अंतर्गत देश के विभिन्न सेडीमैंटरी बेसिनों में अन्वेषण एवं उत्पादन (ई एण्ड पी) कार्यों के लिए गैस ब्लॉकों को अवार्ड करने के द्वारा घरेलू स्रोतों से गैस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।

ii) पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के रूप में गैस के आयात को प्रोत्साहित कर रहा है तथा अंतर्राष्ट्रीय पाइप लाइन परियोजनाओं के माध्यम से गैस के आयात के लिए भी प्रयास कर रहा है।

iii) कोयले वाले क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस के नए स्रोतों का अन्वेषण और उत्पादन के उद्देश्य से सरकार ने देश में कोल बेड मीथेन (सीबीएम) के अन्वेषण और उत्पादन के लिए आकर्षक फिस्कल और संविदात्मक ढांचा प्रदान करने के लिए कोल बेड मीथेन नीति तैयार की है।

iv) सरकार भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूजीसीजी) तथा कोयला तरलीकरण और इन अग्रणी प्रौद्योगिकियों के विकास में निजी उद्यमियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित कर रही है।

पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक ही स्वामी के विद्युत संयंत्रों के बीच गैस के सम्मिलन/विपथन के लिए दिनांक 01.01.2013 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि विद्युत के कुल उत्पादन में तद्नुरूपी वृद्धि के साथ संयंत्र भार कारक में सुधार करने के लिए घरेलू गैस का अधिक कुशलता के साथ प्रयोग करने में समर्थ हो सके।

*****

अनुबंध-क

गैस आधारित विद्युत संयंत्र के बारे में लोकसभा में दिनांक 21.03.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 358 के उत्तर में रखे गए विवरण के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

गैस की मांग एवं आपूर्ति/खपत का संयंत्र-वार ब्यौरा

क्रम सं.	विद्युत स्टेशन का नाम	स्थापित क्षमता (मेगावाट)	90% पीएलएफ पर गैस की आवश्यकता	गैस आपूर्ति/खपत (एमएमएससीएमडी)			
			एमएमएससीएमडी	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अप्रैल-जनवरी)
हरियाणा							
1	फरीदाबाद सीसीपीपी	431.59	2.07	1.65	1.8	1.8	1.59
	योग	**431.59**	**2.07**	**1.65**	**1.8**	**1.8**	**1.59**
राजस्थान							
2	अंता सीसीपीपी	419.33	2.01	1.75	1.51	1.65	1.40
3	धौलपुर सीसीपीपी	330	1.58	1.35	1.13	1.36	0.82
4	रामगढ़ सीसीपीपी	113.8	1.18	0.59	0.50	0.81	0.77
	योग	**863.13**	**4.77**	**3.69**	**3.14**	**3.82**	**2.99**
दिल्ली							
5	आईपी सीसीपीपी	270	1.3	1.12	1.02	0.89	0.94
6	प्रगति सीसीजीटी-III	1000	4.79	0	0.02	0.29	0.84
7	प्रगति सीसीपीपी	330.4	1.59	1.44	1.41	1.49	1.44
8	रिठाला सीसीपीपी	108	0.52	0	0.1	0.27	0.14
	योग	**1708.4**	**8.2**	**2.56**	**2.55**	**2.94**	**3.38**
उत्तर प्रदेश							
9	औरैया सीसीपीपी	663.36	3.18	2.56	2.72	2.45	1.87
10	दादरी सीसीपीपी	829.78	3.98	2.80	3.14	3.06	2.57
	योग	**1493.14**	**7.16**	**5.36**	**5.86**	**5.51**	**4.436**
गुजरात							
11	गांधार सीसीपीपी	657.39	3.16	2.58	2.31	2.09	2.05
12	कवास सीसीपीपी	656.2	3.15	2.53	2.29	2.05	1.74
13	धुवरन सीसीपीपी	218.62	1.05	0.74	0.94	0.56	0.63
14	हजीरा सीसीपीपी	156.1	0.75	0.67	0.63	0.56	0.47
15	हजीरा सीसीपीपी एक्स.	351	1.68	0	0	0	0.00
16	उत्तरान सीसीपीपी	518	2.49	1.17	1.53	1.56	0.54
17	वटवा सीसीपीपी	100	0.48	0.48	0.41	0.28	0.15
18	बरौदा सीसीपीपी	160	0.77	0.63	0.52	0.42	0.28
19	एस्सार सीसीपीपी	515	2.47	1.68	1.68	1.23	0.64
20	पेगुथान सीसीपीपी	655	3.14	2.54	2.06	1.8	0.94
21	सुजेन सीसीपीपी	1147.5	5.51	3.26	4.23	3.87	2.36
	योग	**5134.81**	**24.65**	**16.28**	**16.6**	**14.42**	**9.80**
महाराष्ट्र							
22	रत्नागिरि सीसीपीपी	1967	9.44	4.43	6.28	6.14	3.25
23	उरान सीसीपीपी	672	3.23	3.3	3.45	3.5	2.44
24	ट्रांबे सीसीपीपी	180	0.86	0.86	0.9	0.9	0.74
	योग	**2819**	**13.53**	**8.59**	**10.63**	**10.54**	**6.43**
आंध्र प्रदेश							

25	गौतमी सीसीपीपी	464	2.23	1.85	1.82	1.57	0.71
26	जीएमआर एनर्जी - काकीनाडा	220	1.06	0	0.58	0.67	0.29
27	गोदावरी सीसीपीपी	208	1	0.91	0.87	0.73	0.61
28	जेगुरूपाडु सीसीपीपी	455.4	2.19	1.96	1.79	1.58	1.05
29	कोनासीमा सीसीपीपी	445	2.14	0.81	1.6	1.32	0.63
30	कोंडापल्ली एक्सटें सीसीपीपी.	366	1.76	1.19	1.26	1.23	0.47
31	कोंडापल्ली सीसीपीपी	350	1.68	1.39	1.27	1.18	1.00
32	पेड्डापुरम सीसीपीपी	220	1.06	0.86	0.84	0.76	0.53
33	वेमागिरी सीसीपीपी	370	1.78	1.56	1.44	1.02	0.53
34	विजेशवरन सीसीपीपी	272	1.31	0	0	0	0.67
35	श्रीबा इण्डस्ट्रीज	30	0.14	-	0	0	0
36	आरवीके एनर्जी	28	0.13	-	0	0	0
37	सिल्क रोड सुगर	35	0.16	-	0	0	0
38	एलवीएस पावर	55	0.26	-	0	0	0
	योग	**3518.4**	**16.9**	**10.53**	**11.47**	**10.46**	**6.481**
तमिलानाडु							
39	कोविलकलप्पल सीसीपीपी	107	0.51	0.28	0.34	0.39	0.39
40	कुट्टलम सीसीपीपी	100	0	0.35	0.09	0.22	0.00
41	वलुथुर सीसीपीपी	186.2	0.89	0.61	0.31	0.65	0.48
42	करूप्पुर सीसीपीपी	119.8	0.58	0.38	0.47	0.53	0.50
43	पी. नल्लुर सीसीपीपी	330.5	1.59	0.37	0.97	0.37	0.32
44	वलनटरवी सीसीपीपी	52.8	0.25	0.24	0.27	0.25	0.26
	योग	**896.3**	**3.82**	**2.23**	**2.45**	**2.41**	**1.946**
पुडुचेरी							
45	कराईकल सीसीपीपी	32.5	0.16	0.16	0.14	0.19	0.18
	योग	**32.5**	**0.16**	**0.16**	**0.14**	**0.19**	**0.18**
असम							
46	कटलगुरु सीसीपीपी	291	1.4	1.32	1.44	1.38	1.34
47	लकवा जीटी	157.2	1.1	0.87	0.89	0.83	0.76
48	नामरूप सीसीपीपी	95	0.43	0.58	0.50	0.67	0.62
49	नामरूप एसटी	24	0.14	0.05	0.11	0.00	0.00
50	डीएलएफ असम जीटी	24.5	0.12	0.1	0.07	0.06	0.04
	योग	**591.7**	**3.19**	**2.92**	**3.01**	**2.94**	**2.758**
त्रिपुरा							
51	अगरतला जीटी	84	0.58	0.74	0.72	0.75	0.73
52	बारामुरा जीटी	58.5	0.41	0.2	0.33	0.4	0.40
53	रोखिया जीटी	90	0.63	0.55	0.61	0.5	0.34
	योग	**232.5**	**1.62**	**1.49**	**1.66**	**1.65**	**1.472**
	कुल योग	**17721.47**	**86.07**	**55.46**	**59.31**	**56.28**	**41.45**

अनुबंध-ख

गैस आधारित विद्युत संयंत्र के बारे में लोकसभा में दिनांक 21.03.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 358 के उत्तर में रखे गए विवरण के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

वर्ष 2009-10, 2010-11 2011-12 तथा 2012-13 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान संयंत्र-वार उत्पादन

क्रम सं.	विद्युत स्टेशन	स्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (मिलियन यूनिट)			
			2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अप्रैल-जनवरी) (अनंतिम)
हरियाणा						
1	**फरीदाबाद सीसीपीपी**	**431.59**	**3211.95**	**3155.40**	**3067.72**	**2231.03**
राजस्थान						
2	अंता सीसीपीपी	419.33	3001.76	2487.90	2694.6	1884.85
3	धौलपुर सीसीपीपी	330	2424.77	1994.87	2253.77	980.23
4	रामगढ़ सीसीपीपी	113.8	352.92	301.13	536.79	424.86
	योग	**863.13**	**5779.45**	**4783.9**	**5485.16**	**3289.94**
दिल्ली						
5	आईपी सीसीपीपी	270	1498.84	1368.32	1243.72	1126.95
6	प्रगति सीसीजीटी-III	1000	0.00	6.09	331.38	1238.24
7	प्रगति सीसीपीपी	330.4	2453	2335.78	2560.05	2101.76
8	रिठाला सीसीपीपी	108	0	88.80	241.83	137.18
	योग	**1708.4**	**3951.84**	**3798.99**	**4376.98**	**4604.13**
उत्तर प्रदेश						
9	औरैया सीसीपीपी	663.36	4528.39	4369.34	3878.62	2483.93
10	दादरी सीसीपीपी	829.78	5606.63	5399.88	5376.07	3915.78
	योग	**1493.14**	**10135.02**	**9769.22**	**9254.69**	**6399.71**
गुजरात						
11	गांधार सीसीपीपी	657.39	4487.83	4058.06	3684.07	3023.01
12	कवास सीसीपीपी	656.2	4327.23	3882.14	3638.4	2573.00
13	धुवरन सीसीपीपी	218.62	1358.00	891.38	1008.7	801.71
14	हजीरा सीसीपीपी	156.1	1111.81	1022.81	907.62	631.74
15	हजीरा सीसीपीपी एक्स.	351	0.00	0.00	0.00	0.00
16	उत्तरान सीसीपीपी	518	1944.22	2947.22	2987.98	913.45
17	वटवा सीसीपीपी	100	798.05	670.53	459.26	123.23
18	बरौदा सीसीपीपी	160	1064.39	843.55	668.74	365.06
19	एस्सार सीसीपीपी	515	1714.97	1443.70	135.89	320.98
20	पेगुथान सीसीपीपी	655	4593.82	3667.45	3067.07	1369.98

21	सुजेन सीसीपीपी	1147.5	6630.26	8216.99	7592.16	3816.47
	योग	**5134.81**	**28030.58**	**27643.83**	**24149.89**	**13938.63**
महाराष्ट्र						
22	रत्नागिरि सीसीपीपी	1967	8290.55	11876.85	11619.08	5095.98
23	उरान सीसीपीपी	672	5109.34	5587.39	4668.78	3154.81
24	ट्रांबे सीसीपीपी	180	1414.61	1568.79	1567.9	1329.18
	योग	**2819**	**14814.5**	**19033.03**	**17855.76**	**9579.97**
आंध्र प्रदेश						
25	गौतमी सीसीपीपी	464	3078.89	3331.07	2898.67	950.43
26	जीएमआर एनर्जी - काकीनाडा	220	0	960.49	1200.03	388.38
27	गोदावरी सीसीपीपी	208	1553.13	1464.36	1282.46	871.92
28	जेगुरूपाडु सीसीपीपी	455.4	3348.39	3094.23	2833.49	1530.30
29	कोनासीमा सीसीपीपी	445	867.65	2350.49	2266.22	884.88
30	कोंडापल्ली एक्सटें सीसीपीपी.	366	389.12	2043.68	2203.54	655.83
31	कोंडापल्ली सीसीपीपी	350	2749.85	2133.77	2030.94	1480.77
32	पेड्डापुरम सीसीपीपी	220	1525.02	1427.37	1318.82	634.03
33	वेमागिरी सीसीपीपी	370	3000.18	2815.56	2066.81	911.87
34	विजेशवरन सीसीपीपी	272	0	0	0	882.28
35	श्रीबा इण्डस्ट्रीज	30	-	-	-	-
36	आरवीके एनर्जी	28	-	-	-	-
37	सिल्क रोड सुगर	35	-	-	-	-
38	एलवीएस पावर	55	-	-	-	-
	योग	**3518.4**	**16512.23**	**19621.02**	**18100.98**	**9190.69**
तमिलनाडु						
39	कोविलकलप्पल सीसीपीपी	107	534.06	663.76	705.75	615.35
40	कुट्टलम सीसीपीपी	100	646.26	172.58	413.29	0.00
41	वलुथुर सीसीपीपी	186.2	1064.64	547.67	1114.56	709.19
42	करूप्पुर सीसीपीपी	119.8	676.97	820.38	797.1	763.75
43	पी. नल्लुर सीसीपीपी	330.5	2258.34	2494.06	1526.19	1483.43
44	वलनथारवी सीसीपीपी	52.8	338.63	370.17	377.51	320.55
	योग	**896.3**	**5518.9**	**5068.62**	**4934.4**	**3892.27**
पुडुचेरी						
45	कराईकल सीसीपीपी	**32.5**	**227.25**	**195.45**	**251.46**	**188.99**
असम						
46	कटलगुरु सीसीपीपी	291	1744.14	1833.87	1765.17	1381.32
47	लकवा जीटी	157.2	762.51	766.25	771.99	730.31
48	नामरूप सीसीपीपी	95	510.82	508.73	565.73	416.18
49	नामरूप एसटी	24	35.41	21.08	0	26.80

50	डीएलएफ असम जीटी	24.5	0	67.42	0	34.02
	योग	**591.7**	**3052.88**	**3197.35**	**3102.89**	**2588.63**
त्रिपुरा						
51	अगरतला जीटी	84	662.71	644.10	666.12	526.60
52	बारामुरा जीटी	58.5	177.32	225.82	357.62	289.20
53	रोखिया जीटी	90	442.47	443.50	419.1	343.96
	योग	**232.5**	**1282.5**	**1313.42**	**1442.84**	**1159.76**
	कुल योग	**17721.47**	**92517.10**	**97580.23**	**92022.77**	**57063.75**

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3918
जिसका उत्तर 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

महाराष्ट्र में विद्युत परियोजनाएं

†3918. **श्री निलेश नारायण राणेः**
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र में निर्माण हेतु अर्थक्षम पाई गई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड की विद्युत परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति तथा इन्हें प्रारंभ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : महाराष्ट्र राज्य में, वर्तमान में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे, **अनुबंध-I** पर संलग्न हैं । महाराष्ट्र राज्य में वर्ष 2002-03 से जल विद्युत परियोजना की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, महाराष्ट्र राज्य में इस समय कोयना डैम फुट पावर हाउस, 2X 40 मेगावाट निर्माणाधीन है जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है । ब्यौरे **अनुबंध-II** पर संलग्न हैं।

ºÉ®BÉEEÉ® uÉ®É AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ iÉÉ{É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEEÒ ¶ÉÉÒQÉ °´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® SÉÉãÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç BÉEnàÉ =~ÉA MÉA cé * <ºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :

(i) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), विद्युत अधिनियम, 2003 के 73 (च) के अनुसरण में विद्युत परियोजनाओं की निगरानी करने का कार्य कर रहा है । प्रत्येक परियोजना की प्रगति की नियमित स्थल दौरों, विकासकर्ताओं के साथ परस्पर वार्तालाप, मासिक प्रगति रिपोर्टों के विवेचनात्मक अध्ययन के माध्यम से नियमित निगरानी की जाती है ।

(ii) विद्युत मंत्रालय द्वारा परियोजनाएं समय पर कार्यान्वित की जाती है, यह सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र रूप से विद्युत परियोजनाओं की प्रगति का अनुवर्तन करने और उनकी निगरानी करने के लिए एक विद्युत परियोजना निगरानी पैनल का गठन करना ।

(iii) मैसर्स बीएचईएल, सार्वजनिक क्षेत्र में मुख्य संयत्र उपस्कर के लिए एक प्रमुख स्वदेशी विनिर्माणकर्ता है । आपूर्ति में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए, बीएचईएल अपनी विनिर्माण क्षमता का संवर्द्धन कर रहा है ।

*****

लोक सभा में दिनांक 21.03.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3918 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

अनुबंध-I

महाराष्ट्र में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाएं

□□□□□□□□ □□ □□□	□□□□ □ □□.	□□□ □□□ (□□ □□)	□□□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□			
□□□□ □□□□□□	□□ -2	500	□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□.
□□□□□□□ □□□□□□	□□ -1	660	5/13 □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□
□□□□□□□ □□□□□□	□□ -2	660	11/13 □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□
□□□□ □□□□□□, □□□-II	□□ -1	660	05/13. □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□
□□□□ □□□□□□, □□□ -II	□□ -2	660	11/13. □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□
□□□□□ □□□□□□□			
□□□□□□□□□ □□□□□□	□□ -8	500	3/11 □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□.6/12 □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□.3/12 □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□03/13 □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□
□□□□□□□□□ □□□□□□	□□ -9	500	09/11 □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□, 10/12 □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□. □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□. 03/13 □□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□ □□□□.	□□ -8	660	03/11 □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□. 10/13 □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□. 4/12 □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□, 04/13 □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□
□□□□□□ □□□□□□ □□□□.	□□ -9	660	10/11 □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□, 11/12 □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□. □□□□ □□ 8/13 □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□
□□□□□□ □□□□□□ □□□□.	□□ -10	660	02/12 □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□, 5/13 □□ □□□□ □□□□□□□ □□ 2/14 □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□
□□□□□ □□□□□□ □□□□.	□□ -8	250	□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□. 04/11 □□ □□□□ □□□□□ □□□. 4/12 □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□, 12/12 □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□ 03/13 □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□. 04/13 □□ □□□□□ □□□
□□□□ □□□□□□□			
□□□□□□□ □□□□□□-I	□□ -1	270	□□□□□ □□ 9.3.13 □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□. 20.03.13 □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□□ 25.03.13 □□ □□□
□□□□□□□ □□□□□□ □□□-I	□□ -2	270	05/12 □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□. □□□□ □□□□□□□ 10/11 □□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ 03/13 □□ □□□
□□□□□□□ □□□□□□ □□□ –I	□□ -3	270	10/12 □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ 05/13 □□ □□. □□□□ □□□□□□□ 12/11 □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ 4/13 □□□
□□□□□□□ □□□□□□ □□□ -I	□□ -4	270	11/11 □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ 3/13 □□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□ 4/12 □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□ 07/13 □□ □□□

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ -I	□□ -5	270	11/11 □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ 06/13 □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□ 4/12 □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ 10/13 □□ □□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ -II	□□ -1	270	□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□. □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ -II	□□ -2	270	01/12 □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ -II	□□ -3	270	3/12 □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ -II	□□ -4	270	□□□□ □□ □□□□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ -II	□□ -5	270	□□□□ □□ □□□□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□
□□□□□ □□□□□□□-I	□□ -1	270	29.2.12 □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ 03/13 □□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ 03/13 □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□	□□ -1	300	□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□-08/12, □□□□□□□ 03/13 □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□. 11/11 □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ 01/13 □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□. 04/13 □□ □□□□□□□□. 03/13 □□ □□□□□□ □□□□□
	□□ -2	300	2/12 □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□, 07/12 □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□02/13 □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ 05/13 □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ 05/13 □□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□	□□ -2	300	07/12 □□□□ □□□□□ □□ 03/13 □□□□ □□□□□□□□ 02/12 □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ 03/13 □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□	□□ -1	660	8/11 □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □ 04/14 □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□ 04/13 □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□	□□ -2	660	12/11 □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □ 08/14 □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□ 08/13 □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ -I	□□ -1	270	3/11 □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□, 03/12 □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ 09/11 □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ 01/13 □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ 10/12 □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ 03/13 □□ □□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ -I	□□ -2	270	07/11 □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ 07/12 □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ 12/11 □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□, 04/13 □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ 04/13 □□□□□
□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ -I	□□ -3	270	□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ -I	□□ -4	270	□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ -I	□□ -5	270	□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ -II	□□ -1	270	09/11 □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ -II	□□ -2	270	11/11 □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ -II	□□ -3	270	□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ -II	□□ -4	270	□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ -II	□□ -5	270	□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ –I	□□ -2	660	01/13 □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ 03/13 □□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ -II	□□ -1	660	3/12 □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ 02/13 □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□. □□ □□□□□□□□ 03/13 □□ □□ □□ 05/13 □□ □□□□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ -II	□□ -2	660	06.12.10 □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ 09/12 □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ 02.02.12 □□ □□□□□ □□□□□ 03/13 □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ -II	□□-3	660	04.01.11 □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ 10/12 □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ 5/13 □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ 09/12 □□ □□□□□ □□□□□ 05/13 □□ □□□□□ □□□□□□□□□ 4085

IIIII

अनुबंध-II

लोकसभा में दिनांक 21.03.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3918 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

महाराष्ट्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना

परियोजना का नाम	क्षमता	विस्तृत वर्तमान स्थिति
कोयना डैम फुट पावर हाउस (बांया तट) पीएसएस-II डब्ल्यूआरडी	2X 40=80 मेगावाट	**सिविल कार्य :** पहुँच सुरंग, वातायन सुरंग और विद्युत गृह का निर्माण प्रगति पर है। **ई एण्ड एम कार्य :** मैसर्स आईवीआरसीएल लि. पुणे के साथ दिनांक 16.12.2010 को पंप टरबाइन, जेनरेटर मोटर और सहायक उपकरणों की विस्तृत अभियान्त्रिकी, निर्माण, आपूर्ति, पर्यवेक्षण,उत्थापन चालू करने तथा वाणिज्यिक प्रयोग में प्रयुक्त करने के लिए संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3925
जिसका उत्तर 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

पावर पूलिंग ऑफ कोल

†**3925. श्री पी॰ करूणाकरनः**
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय का विचार पॉवर पूलिंग ऑफ कोल शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विद्युत पूलिंग की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं तथा इस प्रणाली को शुरू करने से क्या लाभ उत्पन्न होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)से(ग)- विद्युत का उच्चतर और वहनीय उत्पादन प्राप्त करने के लिए विद्युत संयंत्रों हेतु कोयले की समग्र उपलब्धता को बढ़ाने की दृष्टि से कोल इंडिया लिमिटेड(सीआईएल) के परामर्श से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा घरेलू कोयले के साथ आयातित कोयले की मूल्य पूलिंग पर रिपोर्ट तैयार की गई थी और इसे विद्युत मंत्रालय द्वारा टिप्पणियों के साथ कोयला मंत्रालय को भेजा गया था । इसके बाद, कोयला मंत्रालय द्वारा घरेलू कोयले के साथ आयातित कोयले के मूल्य की पूलिंग पर नोट आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) को भेजी गई थी । सीसीईए ने दिनांक 5.2.2013 को आयोजित अपनी बैठक में दिनांक 4.2.2013 के नोट पर विचार किया था और प्रस्तावित पूलिंग प्रणाली के लिए विनिर्दिष्ट मात्राओं/क्षमताओं के आकलन के लिए सैद्धांतिक रूप से कुछ दिशा-निर्देशों अनुमोदित किए हैं ।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3931
जिसका उत्तर 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

राजस्थान के लिए अतिरिक्त विद्युत

3931. श्री राम सिंह कस्वांः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त विद्युत की आवश्यकता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य के पास विद्युत उत्पादन के लिए कोई अतिरिक्त क्षमता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राज्य में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)- भारत के 18वें इलेक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण (ईपीएस) के अनुमान के अनुसार, 12वीं योजना अवधि के लिए राजस्थान की विद्युतीय ऊर्जा माँग (जीडब्ल्यूएच) और व्यस्ततम विद्युत भार (मेगावाट) नीचे दिया गया है-

वर्ष	ऊर्जा मांग(एमयू)	व्यस्ततम मांग (मेगावाट)
2012-13	54,243	9,396
2013-14	59,382	10,360
2014-15	65,007	11,422
2015-16	71,166	12,594
2016-17	77,907	13,886

(ख)और(ग)- जी हा । 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, राज्य में चालू किए जाने वाली संभावित अतिरिक्त क्षमता 1260 मेगावाट है और केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों और निजी क्षेत्र परियोजनाओं से राजस्थान राज्य को सम्भावित लाभ क्रमशः 1,306.65 मेगावाट और 627 मेगावाट है ।

अन्य बातों के साथ-साथ सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नवत हैं-

(i) निर्माणाधीन उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता अभिवृद्धि की सख्त निगरानी ।

(ii) अवरोध वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने और अंत मंत्रालयी तथा अन्य बकाया मामलों को तीव्रता से निपटाने को सुगम बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, कोयला मंत्रालय, योजना आयोग और मंत्रिमंडल सचिवालय सहित विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से समीक्षाएं की जाती है ।

(iii) विद्युत क्षेत्र के लिए ईंधन उपलब्ध करवाने के लिए मंत्रालयी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं ।

(iv) मांग को पूरा करने के लिए क्षमता अभिवृद्धि की बढ़ती हुई आवश्कता को ध्यान में रखते हुए, देश में मुख्य संयंत्र उपकरण के निर्माण के लिए विभिन्न संयुक्त उद्यमों के गठन के साथ देश में मुख्य संयंत्र उपकरण का क्षमता निर्माण किया गया है ।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3937
जिसका उत्तर 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

कोयले का आयात

3937. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारीः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत संयंत्रों में कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न देशों से आयातित कोयले का देश–वार ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी राशि खर्च की गई है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : जी हां।

(ख) : कोयले का आयात अन्य के साथ-साथ मुख्य रूप से इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका से किया गया है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (फरवरी, 2013 तक) के दौरान घरेलू कोयले की आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए विद्युत यूटिलिटियों द्वारा आयातित कोयले की मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

वर्ष	**आयातित कोयले की मात्रा (मिलियन टन में)**
2009-10	18.8
2010-11	21.3
2011-12	27.8
2012-13 (फरवरी, 2013 तक)	27.7

पिछले तीन वर्षों में कोयले, कोक और ब्रिकेटस के आयात पर व्यय की गई धनराशि का वाणिज्य विभाग की बेबसाइट पर उपलब्ध ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

			मिलियन अमेरिकी डॉलर में
कॉमोडिटी	**अप्रैल, 2009 से मार्च, 2010**	**अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011**	**अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012**
कोल, कोक ब्रिकेट्स	8,969.17	9,781.12	17,480.10

विद्युत यूटिलिटियों द्वारा कोयले के आयात पर व्यय की गई धनराशि की देश-वार मात्रा के ब्यौरे की निगरानी नहीं की जाती है।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3947
जिसका उत्तर 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

एनएचपीसी में भ्रष्टाचार

3947. श्री ओम प्रकाश यादवः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) की विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कथित मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में लोक प्रतिनिधियों से प्राप्त अभ्यावेदनों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी शिकायतों/अभ्यावेदनों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (घ) : जी, हाँ, उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, वर्ष 2010, 2011 और 2012 के दौरान व्यक्तियों/जन प्रतिनिधियों से प्राप्त केन्द्रीय सतर्कता आयोग/मंत्रिमण्डल सचिवालय/सार्वजनिक उपक्रम विभाग के अनुदेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार, नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) की विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तथाकथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों और इन आरोपों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा **अनुबंध-क और ख** में है । इसके अतिरिक्त, सीवीसी द्वारा निर्दिष्ट सतर्कता के मामले भी जो सीटीई पैरा से उत्पन्न हुए हैं, **अनुबंध-ग** में हैं ।

****

ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 21.3.2013 BÉEEÄ =kÉ®ÉlÉÇ +ÉiÉÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ |É¶xÉ ºÉÆJªÉÉ 3947 BÉEä £ÉÉMÉ (BÉE) ºÉä (PÉ) BÉEä =kÉ® àÉå ÉÊxÉÉÌn-] +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ *

मंत्रालय में प्राप्त एनएचपीसी की विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य से संबंधित सतर्कता शिकायतों का ब्यौरा

क्रम सं.	आरोप	की गई कार्रवाई
1.	रू. 315 करोड़ के लिए एनएचपीसी द्वारा तीस्ता लो डैम-IV जल विद्युत परियोजना के जल यांत्रिकी कार्यों के लाट-2 के लिए पूर्व अर्हता दस्तावेज की तुलना में मैसर्स ओम मैटल्स को ठेका सौंपने से संबंधित ।	सीवीओ, एनएचपीसी की रिपोर्ट मँगवाई गई। इसे सलाह हेतु सीवीसी को भेज दिया गया था ।
2.	विद्युतीकरण कार्यों के निष्पादन के लिए 38.6 करोड़ रूपये के ठेके के संबंध में सीबीआई द्वारा एनएचपीसी अधिकारियों की बुकिंग से संबंधित समाचार पत्र की रिपोर्ट ।	मामलों की जाँच सीबीआई जम्मू द्वारा की जा रही है । सीवीसी ने दिनांक 25.02.2013 के संदर्भ संख्या 011/पीडब्ल्यूआर/010-204002 के माध्यम से प्रत्येक अधिकारी के विरूद्ध डीए की सिफारिश की थी, जो तेजी से की जा रही है ।
3.	सुबानसिरी लोअर परियोजना के काफर बांध की ऊँचाई में कमी पारबती III /टीएलडीपी III /टीएलडीपी IV / चमेरा III / उरी II - निर्माण समस्याओं और विलम्ब के संबंध में श्री जे.के. शर्मा, निदेशक (परियोजना) के विरूद्ध शिकायत ।	इस मामले में सीवीओ एनएचपीसी और सीवीओ एसजेवीएनएल से रिपोर्ट मँगवाई गई । सीवीओ, एनएचपीसी और सीवीओ, एसजेवीएनएल द्वारा दर्शायी गई स्थिति के अनुसार, सतर्कता दृष्टि शिकायत से कोई नहीं पाई गई । रिपोर्ट मंत्रिमण्डल सचिवालय और सीवीसी को भेज दी गई थी । इस मामले को बन्द करने की सलाह दी गई है ।
4.	एनएचपीसी परियोजनाओं में काफर बाँधों के उल्लंघन पर ठेकेदारों को सौंपे गए विभिन्न दावों के रूप में भ्रष्टाचार	इस मामले में वास्तविक स्थिति रिपोर्ट सीवीओ, एनएचपीसी से मांगी गई थी । इसकी जाँच सीवीसी और मंत्रिमण्डल सचिवालय के परामर्श से की गई थी । इस मामले को बन्द करने की सलाह दी गई है ।
5.	श्री यशवन्त चौबे एवं अन्य द्वारा श्री एस.के. गर्ग सीएमडी, एनएचपीसी के विरूद्ध की गई शिकायत ।	इस मामले में एक रिपोर्ट सीवीसी को भेज दी गई थी । उन्होने 7,10 और 11 के सिवाय सारे आरोपों को बन्द करने की सलाह दी है । इन बिन्दुओं पर सीवीसी को उत्तर भेज दिया गया है । सीवीसी ने उत्तर को नोट कर लिया है ।
6.	इन्दिरा सागर परियोजना में भ्रष्टाचार आदि के संबंध में श्री के.एल. सोलंकी सीएमडी, एनएचपीसी और अन्य के विरूद्ध प्राप्त शिकायत ।	इस मामले की जाँच सीवीसी और मंत्रिमण्डल सचिवालय के परामर्श से की गई है । इसे बन्द करने की सलाह दी गई है ।
7.	श्री संजय सिंह द्वारा काफर बांध ने स्लोप फेल्योर तथा वाशिंग आउट और टीएलडीपी-III , टीएलडीपी- IV तथा पारबती- II जल विद्युत परियोजना में दूसरी समस्याओं एवं इन परियोजनाओं में ठेकेदारों के पक्ष में निराधार दावों के संबंध में श्री डी.पी.भार्गव, निदेशक (तकनीकी) के विरूद्ध शिकायत ।	डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार सीवीओ एनएचपीसी की रिपोर्ट मंत्रिमण्डल सचिवालय को भेज दी गई थी । मंत्रिमण्डल सचिवालय में अधिकारियों के समूह ने मामले में आगे कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है ।
8..	एनएचपीसी द्वारा मैसर्स ए2जेड के मैसर्स जेवी और मैसर्स श्यामा पावर को बढ़ी हुई दरों पर आरजीजीवीवाई स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत लेह परियोजना का कार्य सौंपा जाना ।	सीवीसी ने एनएचपीसी के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है । श्री ए.वी.एल श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त) एनएचपीसी पर लघु दण्ड

		अर्थात "सेन्सर" आदेश 17.01.2013 को जारी किया गया है। अन्य अधिकारियों के संबंध में कारवाई प्रगति पर है ।
9.	निर्माण के दौरान ठेकेदार को किए गए भुगतान के संबंध में अनियमितताओं के संबंध में तीस्ता V (एनएचपीसी) के तत्कालीन ईजी/जीएम श्री एस.के. मित्तल के विरूद्ध शिकायत ।	शिकायत बोर्ड नीचले स्तर के अधिकारी से संबंधित है । इसे आवश्यक कार्यवाही हेतु सीवीओ, एनएचपीसी को भेज दिया गया था । रिपोर्ट सीवीओ, एनएचपीसी द्वारा तैयार की जा रही है ।
10.	आरई कार्यों (जम्मू और कश्मीर), आरई कार्य ओडिशा और सुबानसिरी विद्युत परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के संबंध में श्री डी.पी. भार्गव निदेशक (तकनीकी) एवं श्री एस.के. गर्ग पूर्व सीएमडी के विरूद्ध शिकायत ।	इस मामले में रिपोर्ट सीवीओ, एनएचपीसी में मंगवाई गई और मंत्रालय में इसकी जाँच की गई । रिपोर्ट 29.10.2012 को सीवीसी को मंत्रालय की टिप्पणियों के साथ भेजी गई ।
11.	श्री एस.सी. गुप्ता, कार्यकारी निदेशक, एनएचपीसी द्वारा एनएचपीसी की दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना में किए गए कदाचार और शक्ति के प्रत्यायोजन का उल्लंघन ।	मामला बोर्ड स्तर को नीचे के अधिकारियों से संबंधित हैं, इसलिए इसे सीवीसी के साथ प्रत्यक्ष रूप से उठाने के लिए सीवीओ एनएचपीसी को भेजा गया था ।
12.	पीजीसीआईएल, एनएचपीसी और अन्य पीएसयू के कार्य में पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए अनुरोध के संबंध में श्री अमित मित्तल, एमडी ए2जेड मेन्टेन्स एण्ड इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, गुड़गांव से प्राप्त शिकायत ।	डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार मामले को सलाह हेतु मंत्रिमण्डल सचिवालय को भेज दिया गया था ।
13.	एनएचपीसी के धौलीगंगा विद्युत स्टेशन पर अनियमितताओं/कदाचारों के संबंध में एनएचपीसी के अधिकारियों के विरूद्ध शिकायत ।	मामला बोर्ड से नीचे स्तर के अधिकारियों से संबंधित है । उचित कार्रवाई हेतु सीवीओ, एनएचपीसी को भेजा गया । इस मामले की सीवीओ, एनएचपीसी के अधीन जाँच की जा रही है।
14.	पारबती II परियोजना, एनएचपीसी पर मैसर्स एचजेवी को लाभ पहुँचाने के संबंध में श्री जे.के. शर्मा, निदेशक (परियोजना) एनएचपीसी लिमिटेड के विरूद्ध शिकायत ।	सीवीओ, एनएचपीसी की रिपोर्ट सहित शिकायत मंत्रिमण्डल सचिवालय और सीवीसी को भेज दी गई थी । मंत्रिमण्डल सचिवालय में अधिकारियों के समूह ने शेष राशि की वसूली हेतु आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करने और मामले को आगे न बढ़ाने की सलाह दी । सीवीओ, एनएचपीसी से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है ।
15.	चमेरा III और उरी II परियोजना पर मैसर्स ओम मैटल्स को लाभ पहुँचाने के संबंध में श्री जे.के.शर्मा, निदेशक (परियोजना) एनएचपीसी लि. के विरूद्ध शिकायत ।	सीवीओ, एनएचपीसी से प्राप्त रिपोर्ट मंत्रिमण्डल सचिवालय को भेज दी गई थी । मंत्रिमण्डल सचिवालय ने सलाह दी कि उक्त रिपोर्ट को उचित कार्रवाई के लिए सीवीसी को भेजा जाए । रिपोर्ट सीवीसी को भेज दी गई थी ।
16.	चमेरा III जल विद्युत परियोजना के विभिन्न मामलों से संबंधित शिकायतें ।	सीवीओ, एनएचपीसी की रिपोर्ट मंत्रिमण्डल सचिवालय को भेज दी गई थी । मंत्रिमण्डल सचिवालय ने मामले को आगे न बढ़ाने की सलाह दी जब तक कि सीवीसी इन मामलों में से किसी मामले की जाँच कर रही हो । इस संबंध में सीवीसी से अब तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।
17.	श्री जे.के. शर्मा (निदेशक) परियोजना द्वारा एचओपी और अन्य के सहयोग से पारवती-III जल विद्युत परियोजना पर भारी भ्रष्टाचार के आरोप के साथ शिकायत ।	मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, दिनांक 24 जनवरी, 2013 के मंत्रालय के पत्र संख्या सी 13011/91/2012-वी एवं एस के माध्यम से सीवीसी को रिपोर्ट भेजी गई ।
18.	मैसर्स जे.सी.गुप्ता के पक्ष में ओंकारेश्वर फुट परियोजना के सस्पेंशन ब्रिज का एवार्ड निर्धारित करना ।	यह मामला बोर्ड स्तर के नीचे के अधिकारियों से संबधित है । इसे आवश्यक कार्रवाई हेतु सीवीओ, एनएचपीसी को भेज दिया गया था । इस मामले को एनएचपीसी द्वारा बन्द कर दिया गया है । संबंधित अधिकारियों को चेतावनी जारी की गई ।

****

अनुबंध- ख

लोकसभा में दिनांक 21.3.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3947 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

(एनएचपीसी में प्राप्त एनएचपीसी की विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्यों से संबंधित सतर्कता शिकायतों का ब्यौरा)

क्रम सं.	शिकायत का संक्षिप्त ब्यौरा	स्थिति
1.	आरई कार्य ऊद्यमपुर के लिए अप्राधिकृत विक्रेताओं से स्टील के खंभों की अनुमति देना ।	एनएचपीसी द्वारा 4 अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन की मंजूरी प्रदान की गई थी । सीबीआई द्वारा अभियोजन की कार्रवाई शुरू की गई है, जिसका परिणाम अभी उनके द्वारा एनएचपीसी को सूचित किया जाना है ।
2.	मैसर्स जेपी इन्डस्ट्रीज को लाभ पहुँचाना	07.06.2012 को बन्द किया गया ।
3.	कार्य सौंपने में कदाचार	18.08.2011 को बन्द किया गया है ।
4.	चमेरा II विद्युत स्टेशन में भ्रष्टाचार और बड़े पैमाने पर कदाचार	26.10.12 को बन्द किया गया है ।
5.	निर्माण कार्यों में अनियमितताएँ ।	अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है ।
6.	ओंकारेश्वर परियोजना (एनएचडीसी) का फुट संस्पेंशन ब्रिज सौंपना ।	बन्द किया गया । दिनांक 01.11.12 के संख्या पीईई/III /2020/6918-20 द्वारा चेतावनी जारी की गई ।
7.	चमेरा III विद्युत स्टेशन में ठेकेदार को अनुचित लाभ ।	जाँच की जा रही है ।
8.	जल विद्युत भत्ता और पीएचईपी III के भुगतान में अनियमितताएँ ।	जाँच की जा रही है ।

****

अनुबंध- ग

लोकसभा में दिनांक 21.3.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3947 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

सीटीसी पैरा से उत्पन्न होने वाले सीवीसी द्वारा निर्दिष्ट मामलों की स्थिति

क्रम सं.	शिकायत का संक्षिप्त ब्यौरा	स्थिति
1.	सीवीसी ने दिनांक 11.11.2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 006/पीडब्ल्यूआर/041-153387 के माध्यम से पारबती II जल विद्युत परियोजना पर संज में 30 अस्थायी बी प्रकार के क्वार्टरों के निर्माण से संबधित अनियमितताओं के आधार पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध लघु दण्ड कार्यवाही/चेतावनी/सलाहकार नोट शुरू करने की सलाह दी जो दिनांक 23.07.2008 के संख्या 006/पीडब्लयूआर/041-16447 के माध्यम से प्राप्त दिनांक 13.05.2005 की रिपोर्ट संख्या 3-05/एफ 08 /एनएच /21 के पैरा 4.2.2, 4.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 10.1.2, 10.3.1, 11.3.2, 11.3.3, 11.3.5, 11.7.4 और 12.1 की विस्तृत जाँच पर आधारित थी ।	दिनांक 16.08.2011 के पत्र के माध्यम से सीटीई को विस्तृत जाँच रिपोर्ट भेजी गई है । सीवीसी ने दिनांक 11.11.2011 के अपने पत्र संख्या 006/पीडब्ल्यूआर/041/ 153387 के माध्यम से क्रम संख्या 1 से 5 तक 5 अधिकारियों के विरूद्ध लघु दण्ड कार्रवाई और क्रम संख्या 6 से 8 पर अधिकारियों के विरूद्ध चेतावनी/सलाहकार नोट शुरू करने की सलाह दी थी । लघु दण्ड को लगाने के लिए ज्ञापन संबंधित डीए द्वारा श्री राजन जयरथ, एसएम, श्री शाहिद अहमद प्रवधक (सी), श्री गोपाल खण्डेलवाल डीएम (सी), श्री संजय मिश्रा, जेई (सी) को जारी किया गया था । लघु दण्ड के लिए ज्ञापन श्री ए.के. छाबडा को जारी किया गया था । श्री ए.के. छाबडा ने उत्तर 09.05.2012 को दिया । श्री ए.के. छाबड़ा के मामले के संबंध में सीवीओ व डीए अर्थात सीएमसी, एनएचपीसी की सिफारिश सीवीसी को दी गई थी । सीवीसी ने श्री ए.के. छाबडा, ईडी को कांउसलिंग की सलाह दी जो कि 19.09.2012 को उनके नियंत्रण अधिकारी द्वारा दी गई । इस विषय में भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी/सलाह से संबधित ज्ञापन श्री जे.के. सिंह सीई (सी), श्री विजय कुमार मित्तल डीएम(सी), श्री रवि कुमार डीएम (सी) को उनके संबंधित नियंत्रक अधिकारियों द्वारा जारी किया गया है ।
2.	सीवीसी ने दिनांक 21.06.2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 010/पीडब्ल्यूआर/007-178724 के माध्यम से निविदा प्रक्रिया के दौरान अनियमितताओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध लघु दण्ड कार्यवाहियाँ शुरू करने की सलाह दी है जो चमेरा जल विद्युत परियोजना स्टेज-III के सिविल कार्यों (एलओटी I) को सौंपने की तीव्र जाँच के संबंध में दिनांक 19.02.2010 कार्यालय ज्ञापन संख्या 010/पीडब्ल्यूआर/007-76520 दिनांक 19.02.2012 के पैरा संख्या 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11, की विस्तृत जाँच पर आधारित था ।	दिनांक 09.03.2012 के संख्या एनएच/सतर्कता/6-324 (31-3) 224 के माध्यम से सीवीसी को विस्तृत जाँच रिपोर्ट भेजी गई । सीवीसी ने दिनांक 21.06.2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 010/पीडब्ल्यूआर/007-178724 के माध्यम से तीन अधिकारियों के विरूद्ध लघु दण्ड कार्यवाही शुरू करने की सलाह दी थी । लघु दण्ड लगाने के लिए ज्ञापन संबंधित डीए द्वारा श्री एम.के. गोयल सीई(सी), श्री टी.के.कपूर सीई(सी), श्री एस.एन उपाध्याय, मुख्य (वित्त) को जारी किया गया था ।

3.	सीवीसी ने संबधित अधिकारियों को चिन्हित करने के लिए 8.2.12, 8.2.12.1, और 8.2.12.2 के संबध में दिनांक 06.08.2012 के संख्या 009/पीडब्ल्यूआर/050/183380 के माध्यम से पूछा। सीवीसी ने पहले भी सीटीई की आईई रिपोर्ट के आधार पर तीस्ता V जल विद्युत परियोजना लाट-टीटी 3 के लिए पैरा 6.2.9, 6.2.11, 8.2.12, 8.2.12.1, 8.2.12.2, 8.2.14 की विस्तृत जाँच करने के लिए दिनांक 08.08.2008 के 006/पीडब्ल्यूआर/050/18208 के माध्यम से निर्देश दिया था ।	रिपोर्ट सीवीसी को दिनांक 30.04.2012 के संख्या एनएच/सतर्कता/2720/415 के माध्यम से दी गई। सीवीसी ने दिनांक 06.08.2012 के संख्या 009/पीडब्ल्यूआर/050/183380 के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को चिन्हित करने के लिए 8.2.12, 8.2.12.1 और 8.2.12.2 के संबंध में पूछा । संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण माँगे गए और रिपोर्ट अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है ।
4.	सीवीसी ने दिनांक 21.06.2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 008/पीडब्ल्यूआर/075-178532 के माध्यम से उत्तरदायी अधिकारियों को चिन्हित करने का निर्देश दिया । इससे पूर्व सीवीसी ने दिनांक 22.12.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 008/पीडब्ल्यूआर/075-29486 के माध्यम से लाट-पीबी -II पारवती -II जल विद्युत परियोजना के लिए सीटीई द्वारा व्यापक जाँच के आधार पर पैरा 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 और 4.2.4 के संबंध में विस्तृत जाँच रिपोर्ट देने के लिए कहा ।	दिनांक 09.05.2012 के संख्या एनएच/सतर्कता/6329/26-43/440-41 के माध्यम से सीवीसी को रिपोर्ट दी गई । सीवीसी ने दिनांक 21.06.2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 008/पीडब्ल्यूआर/075-178532 के माध्यम से उत्तरदाय अधिकारियों को चिन्हित करने का निर्देश दिया । रिपोर्ट दिनांक 05.03.2013 के संख्या एनएच/सतर्कता/6-329/26-43/229 के माध्यम से सीवीसी को भेजी गई ।
5.	सीवीसी ने दिनांक 20.08.2012 के संख्या 011/पीडब्ल्यूआर/019-178510 के माध्यम से केवल चूक 1 और 2 पर विस्तृत रिपोर्ट देने का अनुरोध किया था । इससे पूर्व, सीवीसी ने दिनांक 13.06.2011 के संख्या 011/पीडब्ल्यूआर/019-132116 के माध्यम से चूतक जल विद्युत परियोजना के लाट I सिविल कार्य के लिए सीटीई द्वारा व्यापक जाँच के आधार पर पैरा 4.2, 4.3, 5.1, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.7, और 5.11 की विस्तृत जाँच का आदेश दिया था ।	रिपोर्ट दिनांक 30.04.2012 के संख्या एनएच/सतर्कता/6-332(58-2)/413 के माध्यम से सीवीसी को दी गई । सीवीसी ने दिनांक 20.08.2012 के संख्या 011/पीडब्ल्यूआर/019-178510 के माध्यम से केवल 1 और 2 की चूकों पर विस्तृत रिपोर्ट देने का अनुरोध किया था । रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।
6.	सीवीसी ने 09.12.2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 008/पीडब्ल्यूआर/075-751356 के माध्यम से पारवती II जल विद्युत परियोजना लाट पीबी-II के लिए सीटीई द्वारा व्यापक जाँच के आधार पर पैरा 6.8 से संबंधित विस्तृत जॉच रिपोर्ट देने के लिए कहा ।	संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया और रिपोर्ट अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है ।
7.	सीवीसी ने 20.06.2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 011/पीडब्ल्यूआर/041-178407 के माध्यम से चूक से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा । इससे पूर्व सीवीसी ने दिनांक 13.12.2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 011/पीडब्ल्यूआर/041-157498 के माध्यम से निम्मो बेजगो जल विद्युत परियोजना के लाट II सिविल कार्यों के लिए सीटीई द्वारा व्यापक जाँच के आधार पर विस्तृत जाँच के लिए पैरा 4.3, 5.3, 5.6, 5.1 का हवाला दिया ।	रिपोर्ट दिनांक 27.04.2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एनएच/सतर्कता/6-331 (36-4)/412) के माध्यम से सीवीसी को प्रस्तुत की गई। सीवीसी ने दिनांक 20.06.2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 011/पीडब्ल्यूआर/041-178407 के माध्यम से चूकों से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का हवाला दिया । संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया और रिपोर्ट अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है ।
8.	सीवीसी ने दिनांक 03.05.2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 008/पीब्ल्यूआर/075-173597 के माध्यम से लाट पीवी II पारवती II जल विद्युत परियोजना के लिए सीटीई द्वारा व्यापक जाँच के आधार पर विस्तृत जाँच के पैरा 4.1 का हवाला दिया ।	दिनांक 06.02.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एनएच/सतर्कता/6-329/139 के माध्यम से सीवीसी के समक्ष विस्तृत जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ।

* * * * *

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3956
जिसका उत्तर 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करना

†**3956. श्री जी॰ एम॰ सिद्देश्वरः**
श्री पी॰ आर॰ नटराजनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश भर में विद्युत वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने का है;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) सहित इस संबंध में केन्द्र सरकार के विचाराधीन मॉडलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कोई परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कितना अनुमानित व्यय शामिल होने का अनुमान है और इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : जी हां। संघ सरकार द्वारा देश की विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदम **अनुबंध** पर दिए गए हैं।

(ख) से (घ) : विद्युत क्षेत्र वितरण में निजी भागीदारी पर श्री बी.के. चतुर्वेदी, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में विद्युत के वितरण में निजी भागीदारी को सक्षम बनाने के लिए एक ढांचा तैयार करने के लिए नवंबर, 2010 में एक कार्यबल का गठन किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, कार्यबल में राज्य प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था, जिसमें सार्वजिनक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल और फ्रेंचाइजी मॉडल दोनों को मंजूरी मिली तथा राज्यों पर छोड़ दिया गया कि वे एक मॉडल, जिसे वह अपने लिए उपयोगी मानते हों, का चयन कर लें।

विद्युत वितरण के पीपीपी मॉडल में लाइसेंस क्षेत्र में विद्युत के वितरण से संबंधित सभी कार्य और उत्तरदायित्व शामिल होते हैं। प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से चयन किया गया ग्राही वितरण नेटवर्क के रख-रखाव, प्रचालन और उन्नयन तथा नियमित उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। एटी एण्ड सी हानियों में कमी, आपूर्ति की गई विद्युत की गुणवत्ता में सुधार,

वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार और खुली पहुँच के माध्यम से प्रतियोगिता की शुरुआत इस मॉडल की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं।

कुछ राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को निजीकरण और वितरण फ्रेंचाइजी की नियुक्ति के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है। ओडिशा एवं दिल्ली राज्यों में वितरण क्षेत्र का क्रमशः 1997 और 2002 में निजीकरण कर दिया गया था।

शहरी वितरण फ्रेंचाइजी (यूडीएफ) के रूप में सार्वजनिक निजी भागीदारी महाराष्ट्र राज्य के भिवाड़ी, नागपुर, औरंगाबाद नगरों और उत्तर प्रदेश में कानपुर और आगरा शहरी क्षेत्रों में मौजूद हैं।

(ङ) : विद्युत एक समवर्ती विषय है और विद्युत वितरण का दायित्व राज्यों का होता है। भारत सरकार राज्यों के उपभोक्ताओं को एक सुधरे तरीके से विद्युत उपलब्ध करवाने के प्रयासों के अनुपूरण में एक सुविधा-प्रदायक के रूप में कार्य करती है।

तथापि, पुनर्गठित-त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के अंतर्गत 32323.67 करोड़ रुपए की परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत, संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए संचयी रूप से 6456.01 करोड़ रुपए की धनराशि संवितरित की गई है।

*****

लोक सभा में दिनांक 21.3.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 3956 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

****

देश में विद्युत वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण करने के लिए संघ सरकार द्वारा उठाए गए कदमः

आर-एपीडीआरपी

देश में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां कम करने और राज्य यूटिलिटियों के विद्युत वितरण क्षेत्र को सुधारने के लिए, भारत सरकार ने 11वीं योजना अवधि के दौरान पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम(आरएपीडीआरपी) की शुरूआत की है । आर-एपीडीआरपी परियोजना क्षेत्रों में सतत एटी एंड सी हानि में कमी लाने के संबंध में यूटिलिटियों द्वारा वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन पर केंद्रित है । स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएँ 2001 की जनगणना के अनुसार 30,000 (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 10,000) से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दो भागों में शुरू की गई हैं । स्कीम का भाग(क) बड़े शहरों (जनसंख्या 4 लाख और वार्षिक ऊर्जा निवेश 350 एमयू) के लिए ऊर्जा लेखांकन/लेखा परीक्षा तथा सुपरवाइजरी नियंत्रण तथा डाटा अधिग्रहण(स्काडा) हेतु आईटी समर्थित प्रणाली की स्थापना के लिए है जबकि भाग(ख) परियोजना शहरों में विद्युत अवसंरचना के उन्नयन, संवर्धन तथा सुदृढ़ीकरण के लिए है ।

आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत, अब तक(28.2.2013 की स्थिति के अनुसार) 32323.67 करोड़ रूपए की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं । आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत संचयी रूप से संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए 6456.01 करोड़ रूपये की राशि संवितरित की जा चुकी है ।

यूटिलिटियों की रेटिंग

राज्य वितरण यूटिलिटियों के वित्तपोषण हेतु वित्तीय संस्थाओं(एफआई)/ बैंको द्वारा एकीकृत दृष्टिकोण को सक्षम बनाने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने राज्य वितरण यूटिलिटियों के लिए एकीकृत रेटिंग प्रक्रिया विकसित की है । एकीकृत रेटिंग प्रक्रिया का समग्र उद्देश्य वितरण यूटिलिटियों को प्रोत्साहित/निरूत्साहित करने के लिए तंत्र तैयार करना है ताकि सब्सिडी, स्वयं सतत प्रचालन के लिए वित्तपोषण समर्थन सहित इक्विटी समर्थन पर प्रतिबद्धताएं पूरी करने के लिए उनके प्रचालन तथा वित्तीय निष्पादन को सुधारा जा सके विनियामक अनुपालन को सक्षम बनाया जा सके तथा संबंधित राज्य सरकारों को प्रभावित किया जा सके ।

विद्युत संबंधी अपीलीय ट्रिब्यूनल (एपीटीईएल) का आदेश

विद्युत मंत्रालय ने सामान्य रूप से विद्युत क्षेत्र तथा विशेष रूप से वितरण यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति तथा दीर्घाविधि व्यवहार्यता को सुधारने के हित में उचित रूप से (यदि अपेक्षित हो तो स्वतः संज्ञान पर) टैरिफ को संशोधित करने के लिए राज्य विनियामक प्राधिकरणों को विद्युत अधिनियम की धारा 121 के अंतर्गत दिशानिर्देश जारी करने के लिए " विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल " से अनुरोध किया है ।

विद्युत संबंधी अपीलीय ट्रिब्यूनल(एपीटीईएल) ने दिनांक 11 नवंबर, 2011 के अपने आदेश में राज्य विद्युत बोर्डों/ डिस्काम की वित्तीय स्थिति को सुधारने तथा अंततः वितरण यूटिलिटियों के लंबित राशि के बढ़ते जा रहे बकायों के निपटारे के लिए मदद देने की दृष्टि से राज्य आयोगों को दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वचालित ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन लागत, यदि यूटिलिटी द्वारा याचिका दाखिल नहीं की गई है, तो टैरिफ का स्वतः निर्धारण, वार्षिक लेखे की तैयारी भी शामिल है और एसईआरसी द्वारा कोई पिछला अंतर नहीं छोड़ा जाना है । विनियामक परिसंपत्तयाँ असाधारण परिस्थितियों में ही सृजित की जानी हैं और अधिकतम 3 वर्षों में परिसमाप्त की जानी हैं ।

मॉडल टैरिफ दिशानिर्देश

राज्य विनियामक मंच तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग(सीईआरसी) ने मॉडल टैरिफ दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने का संकल्प किया है, जिसमें टैरिफ के यौक्तिकीकरण के मामले से संबंधित है । एफओआर(विनियामक मंच) ने एसईआरसी को उन्हें अपनाने के लिए माडल टैरिफ दिशानिर्देश परिचालित किए हैं । अब राज्य विद्युत विनियामक आयोगों से इन टैरिफ दिशानिर्देशों को अपनाने और विनियम बनाने की अपेक्षा की गई है । माडल टैरिफ दिशानिर्देशों का अपनाया जाना पावर फाइनेंस कारपोरेशन तथा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन द्वारा यूटिलिटियों को ऋण के वितरण की एक पूर्व शर्त है ।

राज्य वितरण कंपनियों का वित्तीय पुनर्गठन

राज्य डिस्काम के व्यवसाय को सक्षम बनाने तथा उनकी दीर्घावधि व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य स्वामित्व प्राप्त डिस्काम के वित्तीय पुनर्गठन के लिए स्कीम अधिसूचित गई है । स्कीम में केंद्र सरकार द्वारा परिवर्ती वित्तीय तंत्र के माध्यम से समर्थन के साथ उनके ऋण के पुनर्गठन द्वारा वित्तीय व्यवसाय की प्राप्ति हेतु राज्य डिस्काम तथा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम शामिल हैं ।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3972
जिसका उत्तर 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

ऑपरेटरों को बदलना

†3972. **श्री पी॰ आर॰ नटराजनः**
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश भर में बिजली उपभोक्ता अपनी मूल विद्युत वितरण कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी विद्युत कंपनी की सेवाएं ले सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए विद्यमान तंत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन बिजली उपभोक्ताओं की संख्या का राज्य–वार/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है जिन्होंने अब तक अपनी मूल विद्युत संवितरण कंपनी को बदला है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)और(ख)- विद्युत अधिनियम (ई.ए.), 2003 तथा उसके अंतर्गत उपयुक्त आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार, उपभोक्ता, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित परिदृश्यों के अंतर्गत अर्थात आपूर्ति के उसी क्षेत्र में दूसरा अथवा अनुवर्ती वितरण लायसेंसी होने पर तथा/अथवा खुली पहुँच के माध्यम से, मौजूदा वितरण लायसेंसी को छोड़कर अन्य निकाय से आपूर्ति ले सकता है । विद्युत अधिनियम, 2003 के संबंधित प्रावधान अनुबंध पर संलग्न हैं ।

(ग)- महाराष्ट्र को छोड़कर, अन्य राज्य आयोगों से प्राप्त सूचना के अनुसार, उन विद्युत उपभोक्ताओं, की संख्या शून्य है जिन्होंने अब तक अपनी मूल वितरण कंपनियों को बदला है । महाराष्ट्र में, जिन उपभोक्ताओं ने मुंबई के उपनगरों में वितरण लायसेंसी आरइंफ्रा-डी को बदल कर अन्य वितरण लायसेंसी टाटा पावर कंपनी-वितरण (टीपीसी-डी) को चुना है उनकी वर्षवार संख्या के विवरण निम्नलिखित तालिका में दिये गये हैं-

बदलने वाले उपभोक्ताओं के विवरण-टीपीसी-डी

वित्त वर्ष	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के अंत में संचयी परिवर्तन
2009-10	22703	22703
2010-11	81954	104657
2011-12	130093	234750
2012-13 (फरवरी 2013 तक)	84017	318767

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 21.3.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 3972 के भाग (क)और(ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14, " उपयुक्त आयोग दो अथवा अधिक व्यक्तियों को एक ही क्षेत्र के भीतर उनकी अपनी वितरण प्रणाली के माध्यम से विद्युत के वितरण के लिए लायसेंस दे सकता है, बशर्ते कि एक ही क्षेत्र के भीतर लायसेंस प्रदान करने के लिए आवेदक को, इस अधिनियम के अंतर्गत अन्य शर्तों या अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पूंजी पर्याप्तता, ऋण योग्यता से संबंधित अतिरिक्त अपेक्षाओं, अथवा आचरण-संहिता, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, का अनुपालन करना होगा, तथा ऐसे किसी भी आवेदक, जो लायसेंस प्रदान किए जाने की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, को इस आधार पर लायसेंस देने से इनकार नहीं किया जाएगा कि उसी क्षेत्र में उसी प्रयोजन के लिए पहले से ही एक लायसेंसी मौजूद है।"

" धारा 42. (वितरण लायसेंसी के कर्त्तव्य एवं खुली पहुँच)-.....(1) यह वितरण लायसेंसी का कर्त्तव्य होगा कि.....

(2)राज्य आयोग इसके द्वारा निर्धारित तिथि से एक वर्ष के अंदर विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों (क्रास सब्सिडी, तथा अन्य प्रचालनात्मक बाधाओं सहित) तथा चरणों के अध्याधीन खुली पहुँच प्रारंभ करेगा तथा उत्तरोत्तर चरणों में खुली पहुँच की मात्रा विनिर्दिष्ट करते हुए तथा व्हीलिंग प्रभार निर्धारित करते हुए यह, ऐसी क्रास सब्सिडी, तथा अन्य प्रचालनात्मक बाधाओं सहित सभी संबंधित कारकों पर पूरा ध्यान देगा ।

बशर्ते कि इस खुली पहुँच की अनुमति प्रभार के भुगतान पर होगी राज्य आयोग द्वारा निर्धारित किए जाने वाले व्हीलिंग प्रभार के अतिरिक्तः

बशर्ते कि इसके अतिरिक्त ऐसे प्रभार का उपयोग वितरण लायसेंसी की आपूर्ति के क्षेत्र में क्रास सब्सिडी के मौजूदा स्तर की आवश्यकता को पूरा करने में किया जाएगाः

बशर्ते कि ऐसा प्रभार तथा सब्सिडी भी राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए ढंग से उत्तरोत्तर रूप से कम ^{2} हो जाएगीः

बशर्ते कि ऐसा प्रभार उस व्यक्ति को दी गई खुली पहुँच के मामले में भी नहीं लगाया जाएगा जिसने अपने खुद के प्रयोग स्थल तक विद्युत ले जाने के लिए कैप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित किया होः

बशर्ते कि राज्य आयोग विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारंभ होने की तिथि से पाँच वर्षों के अंदर विनियमों द्वारा सभी उपभोक्ताओं को ऐसी खुली पहुँच प्रदान करेगा जो वहां विद्युत आपूर्ति चाहते हैं जहां किसी भी समय उपलब्ध करवाई जाने वाली अधिकतम विद्युत एक मेगावाट से अधिक हो जाती है ।

(3) यदि किसी व्यक्ति को, जिसका परिसर वितरण लायसेंसी के आपूर्ति के क्षेत्र के अंदर स्थित हो (निर्धारित तिथि से पहले विद्युत वितरण के व्यवसाय में लगा कोई स्थानीय अधिकरण न हो), उत्पादन कंपनी अथवा ऐसे वितरण लायसेंसी को छोड़कर, किसी भी लायसेंसी से विद्युत की आपूर्ति की आवश्यकता हो तो ऐसा व्यक्ति नोटिस के द्वारा, राज्य आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुरूप ऐसी विद्युत की व्हीलिंग के लिए वितरण लायसेंसी की मांग कर सकता है और ऐसी आपूर्ति के संबंध में वितरण लायसेंसी की ड्यूटी भेदभाव के बिना खुली पहुँच प्रदान करने के लिए कॉमन कैरियर की होगी ।

(4) जहां राज्य आयोग उपभोक्ता को या उपभोक्ताओं की श्रेणी को आपूर्ति के उसके क्षेत्र के वितरण लायसेंसी के अलावा किसी व्यक्ति से विद्युत की आपूर्ति प्राप्त करने की अनुमति देता है, तो ऐसे उपभोक्ता को, ऐसे वितरण लायसेंसी के, आपूर्ति के दायित्व से उत्पन्न उसकी निर्धारित लागत को पूरा करने के लिए राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले, व्हीलिंग के प्रभारों पर अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।

(5) प्रत्येक वितरण लायसेंसी नियुक्ति की तिथि अथवा लायसेंस प्रदान करने की तिथि, जो भी पहले हो, से छः माह के भीतर राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले यथा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप उपभोक्ताओं की शिकायतों की निवारण के लिए एक मंच स्थापित करेगा ।

(6) कोई भी उपभोक्ता, जो उप-धारा(5) के अंतर्गत अपनी शिकायत के निवारण नहीं होने से असंतुष्ट है तो वह राज्य आयोग द्वारा नियुक्त अथवा नामोद्दिष्ट किए जाने वाले प्राधिकरण, जिसे लोकपाल के रूप में जाना जाएगा, को अपनी शिकायत के सुनवाई के लिए अभ्यावेदन दे सकता है ।

(7) लोकपाल उपभोक्ता की शिकायत का निपटान राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले समय और पद्धति के अंतर्गत करेगा ।

(8) उप-धारा (5),(6) एवं (7) के प्रावधानों, इन उप-धाराओं द्वारा उपभोक्ता को प्रदत्त अधिकारों के अलावा उसके अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे ।"

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3979
जिसका उत्तर 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन

3979. श्री कीर्ति आजादः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए निर्धारित की गई शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनेक राज्य उक्त शर्तों को पूरा करने में विफल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा की अनिवार्य खरीद की शर्त को पूरा करने के लिए राज्यों को निजी कंपनियों से नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : विद्युत अधिनियम, 2003 में कुशल एवं पर्यावरण के अनुकूल नीतियों को प्रोत्साहन देने तथा उनसे संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों की व्यवस्था की गई है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1) (ड) में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) के कार्यों में, अन्य बातो के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं-

"*(ड) ग्रिड से कनैक्टिविटी तथा किसी भी व्यक्ति को विद्युत विक्रय करने के लिए उपयुक्त उपाय करके नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के सह-उत्पादन तथा उत्पादन को प्रोत्साहन देना तथा वितरण लायसेंसी के क्षेत्र में ऐसे स्रोतों से विद्युत के क्रय के लिए विद्युत की कुल खपत की प्रतिशतता को भी विनिर्दिष्ट करना।*"

इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 06.01.2006 को अधिसूचित प्रशुल्क नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह व्यवस्था की गई है कि उपयुक्त आयोग क्षेत्र में नवीकरणीय स्रोतों की उपलब्धता तथा खुदरा प्रशुल्क पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्रोतों से विद्युत क्रय के लिए न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित करेगा। अधिनियम तथा नीति किसी

बाध्य इकाई द्वारा उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) से ज्यादा विद्युत का खरीद किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है।

विनियामक मंच (एफओआर) सचिवालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, विभिन्न एसईआरसी के द्वारा निर्धारित नवीकरणीय क्रय दायित्व (आर पीओ) लक्ष्य दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-I** पर है।

(ख) और (ग) : आरपीओ के अनुपालन की निगरानी राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) द्वारा की जाती है।

(घ) और (ड) : नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र (आरईसी) तंत्र एक बाजार आधारित तंत्र है जो आर.ई. स्रोतों की उपलब्धता तथा दायित्व वाले निकायों द्वारा उनके आरपीओ को पूरा करने की आवश्यकता के बीच की अनुरूप न होने का समाधान किए जाने के लिए अपेक्षित है। जिन राज्यों में आर.ई. उत्पादन की संभाव्यता है, उनमें आर.ई. क्षमता अभिवृद्धि को प्रोत्साहित किया जाने की आवश्यकता है क्योंकि आरईसी संरचना में ऐसे उत्पादकों के लिए राष्ट्र स्तर का बाजार तैयार करना अपेक्षित है ताकि वे अपनी लागत की वसूली कर सकें।

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को प्रोत्साहन देने तथा विद्युत के बाजार का विकास करने के लिए इसकी अनिवार्यता को पूरा करने के लिए सीईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र की मान्यता तथा जारी करने की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 अधिसूचित किया है। विनियम की प्रमुख विशेषताएं **अनुबंध-II** पर संलग्न हैं।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 21.3.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 3979 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

****

क्र.सं	राज्य	श्रेणी	नवीकरणीय क्रय दायित्व(आरपीओ)लक्ष्य प्रतिशत में											सीपीपी पर आरपीओ	खुली पहुँच उपभोक्ता पर आरपीओ
1	आंध्र प्रदेश		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	>= 1 मेगावाट (हाँ)	हाँ
		सोलर			0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%						
		गैर सोलर			4.75%	4.75%	4.75%	4.75%	4.75%						
		कुल आरपीपीओ			5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%						
2	अरूणाचल प्रदेश		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	हाँ	हाँ
		सोलर			0.10%	0.15%	0.20%								
		गैर सोलर			4.10%	5.45%	6.80%								
		कुल आरपीपीओ			4.20%	5.60%	7.00%								
3	असम		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	हाँ	हाँ
		सोलर	0.05%	0.10%	0.15%	0.20%									
		गैर सोलर	1.35%	2.70%	4.05%	5.40%									
		कुल आरपीपीओ	1.40%	2.80%	4.20%	5.60%	7%								
4	छत्तीसगढ़		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	>= 1 मेगावाट (हाँ)	> = 1 मेगावाट (हाँ)
		सोलर	0.25%	0.25%	0.50%										
		बायोमास	3.75%	3.75%	3.75%										
		अन्य आरई	1.00%	1.25%	1.50%										
		कुल आरपीपीओ	5%	5.25%	5.75%										
5	दिल्ली		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	>= 5 मेगावाट	>= 1 मेगावाट
		सोलर	0.10%	0.15%	0.20%	0.25%	0.30%	0.35%							
		गैर सोलर	1.90%	3.25%	4.60%	5.95%	7.30%	8.65%							

		कुल आरपीपीओ	2.00%	3.40%	4.80%	6.20%	7.60%	9.00%								
6	गुजरात		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21		>= 5 मेगावाट	>= 5 मेगावाट
		सोलर	0.25%	0.50%	1%											
		पवन	4.50%	5%	5.50%											
		बायोमास	0.25%	0.50%	0.50%											
		कुल आरपीपीओ	5%	6%	7%											
7	हरियाणा		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21		हाँ	लंबी अवधि पहुँच के उपभोक्ता
		सोलर	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%										
		गैर सोलर	1.25%	1.00%	1.25%	2.00%										
		कुल आरपीपीओ	1.50%	2%	2%	3%										
8	हिमाचल प्रदेश		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	हाँ	हाँ
		सोलर		0.01%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.50%	0.75%	1%	2%	3%		
		गैर सोलर		10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	11.00%	12.00%	13.00%	14.00%	15.00%	15.50%	16.00%		
		कुल आरपीपीओ		10.01%	10.25%	10.25%	10.25%	11.25%	12.25%	13.50%	14.75%	16.00%	17.50%	19%		
9	जम्मू व कश्मीर		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21		>= 1 मेगावाट (हाँ)	>= 1 मेगावाट (हाँ)
		सोलर	0.02%	0.10%	0.25%											
		गैर सोलर	0.98%	2.90%	4.75%											
		कुल आरपीपीओ	1%	3%	5%											
10	गोवा एवं यूटी		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21		उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं
		सोलर	0.25%	0.30%	0.40%											
		गैर सोलर	0.75%	1.70%	2.60%											
		कुल आरपीपीओ	1%	2%	3%											
11	झारखंड		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21		>= 5मेगावाट (हाँ)	>= 1 एमवीए (हाँ)
		सोलर	0.25%	0.50%	1%											
		गैर सोलर	1.75%	2.50%	3.00%											
		कुल आरपीपीओ	2%	3%	4%											
12	मध्य प्रदेश		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21		हाँ	हाँ
		सोलर		0.40%	0.60%	0.80%	1.00%									
		गैर सोलर	0.80%	2.10%	3.40%	4.70%	6.00%									

		कुल आरपीपीओ	0.80%	2.50%	4%	5.50%	7%									
13	महाराष्ट्र		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21		>= 1 मेगावाट (हाँ)	>= 1 एमवीए (हाँ)
		सोलर	0.25%	0.25%	0.25%	0.50%	0.50%	0.50%								
		गैर सोलर	5.75%	6.75%	7.75%	8.50%	8.50%	8.50%								
		कुल आरपीपीओ	6.00%	7.00%	8.00%	9.00%	9.00%	9.00%								
14	मणिपुर		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21		>= 1 मेगावाट (हाँ)	>= 1 हाँ
		सोलर	0.25%	0.25%	0.25%											
		गैर सोलर	1.75%	2.75%	4.75%											
		कुल आरपीपीओ	2%	3%	5%											
15	मिजोरम		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21		>= 1 मेगावाट (हाँ)	>= 1 मेगावाट (हाँ)
		सोलर	0.25%	0.25%	0.25%											
		गैर सोलर	4.75%	5.75%	6.75%											
		कुल आरपीपीओ	5%	6%	7%											
16	मेघालय		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21		हाँ	हाँ
		सोलर	0.20%	0.30%	0.40%											
		पवन	0.10%	0.15%	0.20%											
		गैर सोलर	0.20%	0.30%	0.40%											
		कुल आरपीपीओ	0.50%	0.75%	1%											

17	नागालैंड		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21		>= 1 मेगावाट (हाँ)	>= 1 मेगावाट (हाँ)
		सोलर	0.25%	0.25%	0.25%											
		गैर सोलर	5.75%	6.75%	7.75%											
		कुल आरपीपीओ	6%	7%	8%											
18	ओडिशा		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21		>= 5 हाँ	>= 5मेगावाट
		सोलर		0.10%	0.15%	0.20%	0.25%	0.30%								
		गैर सोलर	1%	1.20%	1%	1.60%	2%	2.00%								
		को-जेन	3.50%	3.70%	3.95%	4.20%	4.45%	4.70%								
		कुल आरपीपीओ	4.50%	5.00%	5.50%	6.00%	6.50%	7.00%								
19	पंजाब		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21		हाँ	हाँ

		सोलर	0.03%	0.07%	0.13%	0.19%										
		गैर सोलर	2.37%	2.83%	3.37%	3.81%										
		कुल आरपीपीओ	2.40%	2.90%	3.50%	4%										
20	त्रिपुरा		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21		>= 5मेगावाट	>= 5मेगावाट
		सोलर	0.10%	0.10%	0.10%											
		गैर सोलर	0.90%	0.90%	1.90%											
		कुल आरपीपीओ	1%	1%	2%											
21	उत्तराखंड		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21		हाँ	हाँ
		सोलर														
		गैर सोलर														
		कुल आरपीपीओ	9%	10%												
22	उत्तर प्रदेश		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21		>= 1मेगावाट	हाँ
		सोलर	0.25%	0.50%	1%											
		गैर सोलर	3.75%	4.50%	5%											
		कुल आरपीपीओ	4.00%	5.00%	6.00%											
23	तमिलनाडु		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21			
		सोलर		0.05%												
		गैर सोलर		8.95%												
		कुल आरपीपीओ		9%												
24	राजस्थान		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21		सहउत्पादन सहित आरईआरसी विनियम 2007 के अनुसार सीपीपी का कैप्टिव उपभोक्ता//**खुली पहुँच उपभोक्ता क्रय दायित्व**	
		सोलर														
		गैर सोलर														
		कुल आरपीपीओ		6.00%	7.10%	8.20%									2010-11	8.50%
															2011-12	9.50%
25	बिहार		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21		>= 5मेगावाट	>= 5मेगावाट
		सोलर	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	1.25%									
		गैर सोलर	1.25%	2.00%	3.25%	3.50%	3.75%									
		कुल आरपीपीओ	1.50%	2.50%	4%	4.50%	5%									
26	कर्नाटक		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15								>= 5मेगावाट (खपत का 5%)	>= 5मेगावाट (खपत का 5%)
				अन्य स्त्रोत से आरपीओ		सोलर आरपीओ										
			इस्कॉम													
			बेस्कॉम	10%		0.25%										
			मेस्कॉम	10%		0.25%										

			सीईएससी	10%		0.25%										
			हेस्कॉम	7%		0.25%										
			जेस्कॉम	7%		0.25%										
			हुकरी सोसाइटी	7%		0.25%										
27	केरल		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21		हाँ	हाँ
		सोलर	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%								
		गैर सोलर	2.75%	3.05%	3.38%	3.74%	4.14%	4.58%								
		कुल आरपीपीओ	3.00%	3.30%	3.63%	3.99%	4.39%	4.83%	10% प्रतिवर्ष वृद्धि अधिकतम 10% तक							

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 21.03.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3979 के भाग (घ) और (ड) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

आरईसी संरचना की प्रमुख विशेषताएं

- नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र (आरईसी) तंत्र नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने तथा नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) को सुविधाजनक बनाने के लिए बाजार आधारित इंस्ट्रुमेंट है।

- आरईसी तंत्र का ध्यान राज्य में नवीकरणीय स्रोतों की उपलब्धता तथा बाध्य निकायों द्वारा नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) को पूरा करने की आवश्यकता के अनुरूप न होने का समाधान किए जाने पर केंद्रित है।

- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन की लागत को पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की समतुल्य विद्युत उत्पादन लागत तथा पर्यावरणीय श्रेयों की लागत के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

- आरई उत्पादकों के पास दो विकल्प होते हैं- i) या तो नवीकरणीय ऊर्जा को अधिमान्य प्रशुल्क पर बेचें अथवा ii) आरई उत्पादन के साथ संबद्ध विद्युत उत्पादन तथा पर्यावरणीय श्रेय को पृथक रूप से बेचें।

- पर्यावरणीय एट्रीब्यूटस का नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्रों (आरईसी) के रूप में विनिमय किया जा सकता है।

- आरई उत्पादकों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ग्रिड में 1 मेगावाटघंटा विद्युत प्रविष्ट करने पर आरईसी जारी किया जाता है।

- आरईसी केवल आरई उत्पादकों को ही जारी किया जाता है।

- बाध्य निकायों द्वारा अधिनियम की धारा 86(1)(ड) के अंतर्गत अपने आरपीओ को पूरा करने के लिए आरईसी क्रय किया जाता है। आरईसी का क्रय आरपीओ अनुपालन के लिए आरई का क्रय करना माना जाएगा।

- एमएनआरई द्वारा अनुमोदित ग्रिड कनैक्टिड आरई प्रौद्योगिकियां इस स्कीम के लिए पात्र हैं।

- मौजूदा पीपीए वाले आरई उत्पादक आरईसी तंत्र के लिए पात्र नहीं है।

- आरपीओ अनुपालन के लिए मान्य इंस्ट्रुमेंट के रूप में आरईसी को एसईआरसी द्वारा मान्य किया जाता है।

- राष्ट्र स्तर पर आरईसी संरचना के कार्यान्वयन के लिए पंजीकरण, निधान तथा अन्य कार्यों के लिए केंद्रीय एजेंसी।

- केंद्रीय एजेंसी में आरईसी के लिए केवल अधिकृत परियोजना ही पंजीकृत की जा सकती है।

- आरईसी का विनिमय केवल सीईआरसी द्वारा अनुमोदित विद्युत विनिमयों में ही किया जाता है।

- आरईसी का विनिमय सीईआरसी द्वारा निर्धारित स्थगन मूल्य तथा फ्लोर मूल्य के अंदर किया जाता है।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3986
जिसका उत्तर 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

विद्यालयों में बिजली

†**3986. श्री विलास मुत्तेमवारः**
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र–वार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कितने प्रतिशत विद्यालयों में बिजली की सुविधा मौजूद है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी विद्यालयों में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाने का है, ताकि कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम बाधित न हो; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में बिजली कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)से(ग)- स्कूलों सहित सार्वजनिक स्थानों को बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाना राज्यों/वितरण कंपनियों(डिस्कॉम) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है । चूँकि भारत सरकार आरजीजीवीवाई के अंतर्गत स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को कनेक्शनों के लिए सब्सिडी उपलब्ध नहीं करवाती है इसलिए विद्युतीकृत स्कूलों का ब्यौरा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है । तथापि, रैण्डम सैम्पलिंग आधार पर 20 अलग-अलग राज्यों में 4 एजेंसियों द्वारा कराये गए आरजीजीवीवाई के मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, मूल्यांकन अध्ययन के अंतर्गत शामिल किए गए गाँवों के 96% स्कूलों को बिजली तक पहुँच उपलब्ध करवाई गई हैं ।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4002
जिसका उत्तर 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का सम्मेलन

†**4002. श्री थोल तिरूमावलावनः**
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में विद्युत की कमी का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, विश्व बैंक के अधिकारियों आदि का सम्मेलन आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)और(ख)- जी, नहीं ।

(ग)- आवश्यकता महसूस नहीं की गई ।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4013
जिसका उत्तर 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

आर.ई.सी. का कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

†**4013. श्री किसनभाई वी. पटेलः**
श्री प्रदीप माझीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत विद्युत कंपनियों द्वारा सहायता प्रदान करने के लिए नियत मानकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) सीएसआर के तहत विभिन्न कार्यक्रमों को सहायता प्रदान कर रही है;

(ग) यदि हां, तो उन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा आरईसी द्वारा कार्यक्रम–वार/राज्य–वार उपलब्ध कराई जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में उन कार्यक्रमों हेतु आरईसी द्वारा संस्वीकृत, जारी तथा उपयोग की गई धनराशि का कार्यक्रम/राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सहायता के मानदंड सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा 9 अप्रैल, 2010 को जारी सीपीएसई के कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के दिशा-निर्देशों के अनुसार है।

(ख) से (घ) : जी हां। रुरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसीएल) सीएसआर के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को सहायता प्रदान कर रही है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में आरईसीएल से संबंधित सीएसआर कार्यक्रमों, संस्वीकृत, जारी/उपयोग में लाई गई धनराशियों का ब्यौरा **अनुबंध** पर दिया गया है।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 21.3.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 4013 के भाग (ख)से(घ) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली				
विभिन्न राज्यों व संघ राज्य - क्षेत्रों में सी.एस.आर.कार्यक्रम, संस्वीकृत, जारी और उपयोग की गयी धनराशियों का ब्यौरा				
				31.12.2012 के अनुसार
सी.एस.आर स्थिति (वित्त वर्ष 2009-10 में स्वीकृत)				
क्र.सं.	कार्यक्रम का ब्यौरा	संस्वीकृत धनराशि (रू.)	31.12.2012 के अनुसार जारी /उपयोग की गयी धनराशि।	शामिल राज्य/संघराज्य क्षेत्र
1	मिड-डे मील कार्यक्रम के लिए मोबाइल वैन की खरीददारी	1,350,000	1,350,000	दिल्ली और हरियाणा
2	डोनेशन आधारित कार्यकलाप	100,000	100,000	अखिल भारत
3	महाराष्ट्र महोत्सव के दौरान दिल्ली में सांस्कृतिक कार्यक्रम	300,000	300,000	अखिल भारत
4	दिल्ली में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्पोंसरसिप	25,000	0	अखिल भारत
5	दिल्ली में भाषाई व सांस्कृतिक प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए स्पोंसरशिप	50,000	50,000	अखिल भारत
6	मावलंकर ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में 20.9.2009 को नालंदा मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा आयोजित नालंदा मेमोरियल फाउंडेशन कों स्पोंसर करना।	50,000	50,000	अखिल भारत
7	शारीरिक रूप से विकलांग लोगों पर आधारित पत्रिका के प्रकाशन की स्पोंसरशिप	50,000	50,000	नई दिल्ली
8	पुडुचेरी में बच्चों में ऊर्जा दक्षता जागरुकता बढ़ाना व पेन्टिंग प्रतियोगिता	505,000	504,547	पुडुचेरी
9	साम्प्रदायिक, जातीय या आतंकवादी हिंसा के कारण अनाथ/निराश्रित हुए बच्चों की 'प्रोजेक्ट असिस्ट ' के अंतर्गत सहायता करने के माध्यम से साम्प्रदायिक सदभाव को बढ़ाना।	1,000,000	1,000,000	अखिल भारत
10	शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए सामुदायिक केन्द्र का निर्माण।	6,000,000	6,000,000	तमिलनाडु
		9,430,000	**9,404,547**	
सीएसआर स्थिति (वित्त वर्ष 2010-11 में संस्वीकृत)				
क्र.सं.	कार्यक्रम का ब्यौरा	संस्वीकृत धनराशि (रू.)	31.12.2012 के अनुसार जारी/उपयोग की गयी धनराशि ।	राज्य/संघराज्य क्षेत्र
1	मराठी साहित्य को बढ़ावा देना	330,000	165,000	मुम्बई,महराष्ट्र
2	सफाई कर्मचारियों के बच्चों को रोजगार उन्मूख करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण देना।	3,375,000	2,000,000	गुजरात,बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,हिमाचल प्रदेश, पंजाब
3	सी.डब्लू.जी दिल्ली 2010 के अवसर पर कमानी ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में 12-13 अक्टूबर, 2010 के दौरान जयदेव कृत गीतगोविन्द के गीतों पर आधारित 'अष्टपदी' को दर्शाती हुई ओड़िशी शैली में नृत्य महोत्सव आयोजित करना।	500,000	500,000	नई दिल्ली
4	खेलकूद (चेस) को बढ़ावा देना	500,000	500,000	अखिल भारत
5	हरियाणा में 2 से 10 जनवरी 2011 के दौरान अतर्राज्यीय अंतर आंचलिक वरिष्ठ राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित करने के लिए	1,000,000	1,000,000	अखिल भारत
6	इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर (आई.आई.सी) नई दिल्ली में 13 से 14 नवम्बर 2010 के दौरान संभव 2010 के अवसर पर एक कलाप्रदर्शनी आयोजित करने के लिए कलाकारों (शारीरिक व मानसिक रूप	100,000	75,000	अखिल भारत

	से विकलांग) के समर्थन के लिए ।			
7	औरंगाबाद, महराष्ट्र में 28 से 31 अक्टूबर 2010 के दौरान " 44 राष्ट्रीय चैंपियनशिप और हिन्द केसरी कुश्ती प्रतियोगिता " आयोजित करने के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि ।	500,000	375,000	औरंगाबाद, महाराष्ट्र
8	नई दिल्ली में 20 से 23 दिसम्बर 2010 के दौरान इंटरनेशनल ज्वाइंट कांफ्रेंस ऑफ पावर इलेक्ट्रोनिक्स, ड्राइव एंड एनर्जी सिस्टम 2010 (एफईडीईएस-2010) को सहायता देना।	100,000	100,000	अखिल भारत
9	ग्रामीण नवयुवकों का कौशल विकास प्रशिक्षण	3,230,000		अखिल भारत
10	शिक्षा प्रोत्साहन	2,340,000	2,340,000	अखिल भारत
11	शिक्षा प्रोत्साहन	280,000	280,000	अखिल भारत
12	शिक्षा प्रोत्साहन	35,465	35,465	अखिल भारत
13	खेलकूद प्रोत्साहन	1,000,000	400,000	हरियाणा
14	खेलकूद प्रोत्साहन	1,000,000	400,000	ओड़िसा
15	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रोत्साहन	526,000	526,000	नई दिल्ली
16	विद्यालय भवन का निर्माण	826,000	0	मिदनापुर, पश्चिम बंगाल
17	ग्रामीणों को सौर प्रकाश सेवा की आपूर्ति	9,000,000	9,000,000	असम, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र
18	मिड-डे मील कार्यक्रम के लिए मोबाइल वैन की खरीददारी	1,800,000	1,800,000	नई दिल्ली
19	मोबाइल मेडिकल वैन की खरीद	600,000	600,000	हरियाणा
20	शिक्षा प्रोत्साहन	3,621,313	3,621,313	अखिल भारतीय
21	सी.एस.आर. परियोजनाओं के सामयिक और अंतिम प्रभाव का मूल्यांकन	1,000,000	431,805	अखिल भारतीय
		31,663,778	**24,149,583**	

सीएसआर स्थिति (वित्त वर्ष 2011-12 में संस्वीकृत)

क्र.सं.	**कार्यक्रम का ब्यौरा**	**संस्वीकृत धनराशि (रू.)**	**31.12.2012 के अनुसार जारी /उपयोग की गयी धनराशि**	**शामिल राज्य/संघराज्य क्षेत्र**
1	ग्रामीण/अर्द्ध-शहरी बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण	15,255,000	15,255,000	बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओड़िसा
2	ग्रामीण/अर्द्ध-शहरी बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण	16,291,000	15,476,640	बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओड़िसा
3	220 ग्राम पंचायतों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों (ए.ई.सी) को आदर्श प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों (एम.ए.ई.सी.) में तब्दील करना तथा जिला पंचायत स्तर पर 100 आदर्श प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र(एम.ए.ई.सी) स्थापित करना।	105,000,000	105,000,000	आन्धप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओड़िसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान
4	एशियन चैम्पियनशिप 2011के स्वर्ण पदक विजेता हॉकी खिलाड़ियों को पुरस्कार	2,700,000	2,700,000	अखिल भारतीय
5	लंदन ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले हॉकी खिलाड़ियों को पुरस्कार	1,800,000	1,800,000	अखिल भारतीय
		136,546,000	**140,231,640**	

सीएसआर स्थिति (वित्त वर्ष 2012-13 में संस्वीकृत)

क्र.सं.	**कार्यक्रम का ब्यौरा**	**मंजूर धनराशि (रू.)**	**31.12.2012 के अनुसार जारी/उपयोग की गयी धनराशि**	**शामिल राज्य/संघराज्य क्षेत्र**
1	एम्बुलेंस उपलब्ध करवाना	1,347,623	1,200,000	पंत नगर, उत्तराखंड
2	छोटे बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए सहायता।	250,000	250,000	कोलकाता
3	दंगा प्रभावित परिवारों के बच्चों को सहायता।	500,000	500,000	असम राज्य में दंगों के शिकार लोगों की सहायता।
4	मुम्बई के झुग्गी-झोपड़ी वासियों के नेत्र शल्य चिकित्सा के लिए सहायता।	1,000,000	564,000	मुम्बई की झुग्गी-झोपड़ी वासियों की नेत्र शल्य चिकित्सा के लिए सहायता।
5	लड़कियों के लिए होस्टल का निर्माण ।	1,500,750	1,491,623	मिदनापुर, पश्चिम बंगाल
6	भारत सरकार की मिड-डे मील स्कीम के लिए सहायता।	2,400,000	2,160,000	जिला-जयपुर, राजस्थान के गांव

7	सुनामी से ध्वस्त हुए विद्यालय भवन का निर्माण।	7,478,000	2,595,932	कुजुथूरा, जिला-कोलम, केरल राज्य
8	विद्यालय भवन के लिए ऑडिटोरियम का निर्माण।	3,300,000	1,197,739	मैथामंगलम, जिला-कन्नूर,राज्य-केरल
9	सीवेज/गैस प्लांट का निर्माण	7,639,000	42,739	कायामकूलम,जिला- एल्पाजूआ, राज्य-केरल
10	ग्रामीण/अर्द्ध-शहरी युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण	15,255,000	13,729,500	बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओड़िशा
11	नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए स्कुल किट, यूनिफार्म आदि खरीदने के लिए सहायता।	1,330,000	1,330,000	दिल्ली/एन.सी.आर
12	स्कुली बच्चों को ऊर्जा और जल संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए सहायता।	2,450,000	1,250,000	दिल्ली/एन.सी.आर
13	रवीन्द्र उत्सव 2012 के लिए सहायता।	1,000,000	1,000,000	कोलकाता
14	स्वर्ण जयंती हाफ मैराथन के लिए सहायता।	500,000	500,000	नई दिल्ली
15	माउंट एवरेस्ट आरोहण के लिए सहायता।	100,000	100,000	शोलापुर, महाराष्ट्र
16	विकलांग लोगों की सहायता के लिए	100,000	100,000	नई दिल्ली
17	तीन गांवों में पेयजल के लिए सहायता।	5,694,000	0	आन्ध्र प्रदेश में तीन गांव
18	एकीकृत ग्राम विकास	4,986,000	1,575,000	छत्तीसगढ़, ओड़िसा और उत्तर प्रदेश
19	हरियाणा में 7 स्कूलों के लिए शौचालय निर्माण में सहायता।	4,998,000	4,498,200	जिला-सोनीपत, हरियाणा
20	रायबरेली, उत्तर प्रदेश के गांवों में मोबाइल क्लीनिक उपलब्ध करवाना।	12,728,000	1,981,500	जिला-रायबरेली, उत्तरप्रदेश
21	विकलांग लोगों के सेमिनार के लिए सहायता।	500,000	500,000	अखिल भारतीय
22	दिल्ली और उत्तराखंड में पुस्तकालयों की स्थापना	5,000,000	3,500,000	दिल्ली और उत्तराखंड
23	बाल शिक्षा में माता-पिता की भागीदारी के लिए सहायता।	4,000,000	2,130,250	महाराष्ट्र
24	छोटे बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए सहायता।	500,000	500,000	पश्चिम बंगाल
25	शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को सहायक साधन एवं यंत्र के लिए सहायता ।	15,750,000	9,922,500	अखिल भारतीय
26	असम राज्य के 30 गांवों को सौर प्रकाश सेवा प्रदान करना	4,950,000	495,000	असम
27	शिल्पकला विरासत को पुनर्जीवित करना तथा शिल्पकारों को ठोस जीविका प्रदान करना।	15,800,000	1,580,000	गुजरात
28	रतनगढ़ ब्लॉक, जिला-चुरू राजस्थान की 30 बस्तियों में 'स्मार्ट ग्रीन पावर प्रोजेक्ट'	7,350,000	735,000	राजस्थान
29	चारदीवारी, शौचालय का निर्माण तथा फर्नीचर एवं दूसरी वस्तुओं की आपूर्ति।	796,000	452,164	ओड़िसा
30	झारखंड में स्कुलो/ कॉलेजों के लिए कम्प्यूटर,प्रिंटर यू.पी.एस., सिलाई मशीन तथा अन्य फर्नीचर सामान के लिए सहायता।	3,200,000	1,687,500	झारखण्ड
31	उत्तर प्रदेश में शिक्षण शिविरों के लिए सहायता।	1,200,000	720,000	महाराष्ट्र
32	हेल्थ केयर पैकेज हेल्पेज इंडिया के 40 वृद्धाश्रमों को बहुसुविधा किट के लिए सहायता	10,057,000	7,963,560	अखिल भारतीय
33	ओड़ीसा के 30 गांवों को सौर प्रकाश सेवा प्रदान करना।	4,950,000	495,000	ओड़िसा
34	अशोक नगर, मध्य प्रदेश में प्राथमिक चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट ।	12,987,164	2,031,500	मध्यप्रदेश
35	शिवपुरी, जिला-अशोक नगर, मध्य प्रदेश के एस.सी./एसटी/ओ.बी.सी. महिलाओं और ई.डब्लू.एस. के लिए रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम	19,230,000	4,807,500	मध्यप्रदेश
36-	नेत्र सुरक्षा दिवस	500,000	500,000	नई दिल्ली
		148,609,373	**42,696,483**	

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4016
जिसका उत्तर 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित लोग

†**4016. श्री जोसेफ टोप्पोः**
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर असम सहित राज्य–वार पन बिजली और ताप विद्युत परियोजनाओं द्वारा विस्थापित और प्रभावित व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान परियोजना–वार और राज्य–वार इस संबंध में सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता सहित प्रभावित लोगों के पुनर्वास और उचित क्षतिपूर्ति हेतु नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित लोगों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार प्रदान किए गए रोजगार का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : पूर्वोत्तर राज्यों में हाइड्रो तथा थर्मल पावर परियोजनाओं द्वारा विस्थापित एवं प्रभावित व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

क्रम सं.	**परियोजना का नाम**	**राज्य**	**परियोजना प्रभावित लोगों की संख्या**
1.	रंगा नदी हाइड्रो इलैक्ट्रिक (एचई) प्रोजेक्ट, 405 मेगावाट	अरुणाचल प्रदेश	297
2.	कामेंग एचई प्रोजेक्ट, 600 मेगावाट	अरुणाचल प्रदेश	99
3.	पारे एचई प्रोजेक्ट,110 मेगावाट	अरुणाचल प्रदेश	38
4.	त्रिपुरा गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट, 100 मेगावाट	त्रिपुरा	21
5.	सुबानसिरी लोअर एचईपी, 2000 मेगावाट	अरुणाचल प्रदेश	77

(ख) : भारत सरकार ने दिनांक 31.10.2007 को राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एण्ड आर) नीति, 2007 को अधिसूचित किया है। इस नीति में ग्रामीण गरीब को राहत उपलब्ध कराना, निर्धन वर्गों अर्थात छोटे एवं सीमान्त किसानों को पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराना, विस्थापित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाएं जो विस्थापित हो चुकी हैं, को सहायता दिए जाने की

आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, इसमें लागतों के संबंध में सुनिश्चितता के साथ परियोजना के समय से पूरा होने तथा विस्थापित व्यक्तियों की आवश्यकताओं तथा परियोजना प्रभावित परिवारों और पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास (आर एण्ड आर) से संबंधित प्रशासन के बीच प्रभावी बातचीत के लिए एक व्यापक कैनवस उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता इस प्रकार हैं-

क्रम सं.	**परियोजना का नाम**	**आर एण्ड आर का ब्यौरा**
1.	कामेंग एचई प्रोजेक्ट, 600 मेगावाट	आर एण्ड आर स्कीम राज्य सरकार के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। आर एण्ड आर 733 लाख रुपए की कुल लागत में से 497.58 लाख रुपए की राशि तीन चरणों में जारी की गई है।
2.	पारे एचई प्रोजेक्ट,110 मेगावाट	आर एण्ड आर स्कीम राज्य सरकार के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। मॉडल गांव के निर्माण के लिए भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियों के लिए 2.56 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। आर एण्ड आर योजना के अंतर्गत प्रस्तावित मॉडल गांव के लिए अवसंरचना के निर्माण हेतु 14.92 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। इसमें से 5.00 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं।
3.	सुबानसिरी लोअर एचईपी (2000 मेगावाट)	प्रभावित परिवारों के लिए पूर्ण एवं अंतिम रूप से मुआवजे का भुगतान राज्य सरकार को दिसंबर, 2009 में कर दिया गया है।

(ग) और (घ) : स्थानीय रोजगार कार्यालयों, जहां परियोजना स्थित हैं, के माध्यम से समूह (ग) एवं (घ) के पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं और अन्यथा पात्रता होने पर भूमि प्रभावित लोगों को प्राथमिकता दी जाती है।

अरुणाचल प्रदेश में सुबानसिरी लोअर एचई प्रोजेक्ट के मामले में, 50 व्यक्तियों को स्थाई रोजगार उपलब्ध करवाए गए हैं।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4053
जिसका उत्तर 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम

†**4053. श्री अनंत कुमारः**
क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के तहत विभिन्न राज्यों और विद्युत वितरण कंपनियों को आवंटित, संस्वीकृत और निर्गमित राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) संस्वीकृत राशि की तुलना में निर्गमित राशि में कमी के राज्य–वार/संघ राज्यक्षेत्र–वार क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्कीम के तहत आज तक की तिथि तक प्रौद्योगिकी संवर्धन के लाभ और प्राप्त कुल अनुमानित ऊर्जा बचत का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)- त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम(एपीडीआरपी) वर्ष 2002-03 में राज्यों को उप-पारेषण और वितरण प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के लिए एक अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में शुरू की गयी थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य एटी एंड सी और वाणिज्यिक हानियों में कमी लाना; विद्युत की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता लाना है । **सभी राज्यों ने दसवीं योजना एपीडीआरपी की चल रही परियोजनाओं को बंद करने की कार्रवाई पूरी कर ली है ।**

भारत सरकार ने जुलाई, 2008 में केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) का अनुमोदन किया है । आर-एपीडीआरपी में ध्यान परियोजना क्षेत्रों में सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों में सतत् रूप से कमी लाने के लिए यूटिलिटीज द्वारा वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन पर मुख्य जोर दिया जाएगा। इस स्कीम के अधीन वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, 30,000 से अधिक जनसंख्या वाले (विशेष श्रेणी के राज्यों में 10,000 आबादी) नगरों में दो भागों में परियोजनाएं शुरू की गईं । स्कीम का भाग-क, ऊर्जा लेखांकन/लेखा परीक्षण, कस्टमर केयर, कम्प्यूटरीकृत बिलिंग और संग्रहण आदि चार लाख आबादी वाले शहरों और 350 एमयू के वार्षिक ऊर्जा आदान पर्यवेक्षण नियंत्रण और आंकड़ा

अधिग्रहण (एससीएडीए) के लिए आईटी समर्थित प्रणाली स्थापित करने के लिए है और भाग-ख परियोजनाएं, परियोजना नगरों में इलैक्ट्रीकल अवसंरचना के उन्नयन, संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के लिए हैं ।

आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत, राज्यों को कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई है, अपितु स्वीकृत परियोजनाओं के लिए ऋण के रूप में परियोजनाओं की प्रगति और पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर आधारित किस्तों में जारी किया जाता है । अबतक, आरएपीडीआरपी के अंतर्गत, 32323.67 करोड़ रू0 लागत की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं । संचयी रूप से स्वीकृत परियोजनाओं के लिए आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत रू0 6456.01 करोड़ रूपये की राशि वितरित की गई है ।

पिछले प्रत्येक तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आर-एपीडीआरपी कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्य विद्युत यूटिलिटीज को स्वीकृत और वितरित की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता की कुल राशि **अनुबंध-I** पर संलग्न है ।

(ख)- आज की तारीख तक, स्वीकृत स्कीमों के लिए धनराशि जारी करने में कोई कमी नहीं हुई है । यूटिलिटीज की मांगें, आर-एपीडीआरपी दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी की जा रही हैं ।

आर-एपीडीआरपी में, आरंभ में भाग-क परियोजनाओं के लिए पहली किस्त के रूप में स्कीम की 30% लागत और भाग-ख परियोजनाओं के लिए स्कीम की 15% तक लागत राज्यों को परियोजनाओं के स्वीकृति के बाद मुहैया कराई गई ।

(ग)- भारत सरकार द्वारा जुलाई 2008 में आर-एपीडीआरपी स्कीम, एटी एंड सी हानियों को कम करने और राज्य यूटिलिटीज के विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी ।

पीएफसी की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर एटी एंड सी हानियां वर्ष 2002-03 में 36.64% से घटकर 2010-11 में 26.15% हो गईं है। आर-एपीडीआरपी स्कीम अभी तक कार्यान्वयनाधीन है और स्कीम के भाग-क के अंतर्गत डाटा सेंटर से 291 नगरों को जोड़ा गया है । आरंभिक मूल्यांकन में इन नगरों में औसतन 6 से 7% तक की एटी एंड सी हानियों में कमी दर्शाई गई है ।

चूंकि, आर-एपीडीआरपी स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत परियोनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, प्रौद्योगिकी संवर्धन के लाभों और इसके परिणामस्वरूप प्राप्त हुई कुल अनुमानित ऊर्जा बचतों की जानकारी परियोजनाओं के पूरा होने के पश्चात ही मिल पाएगी ।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 21.3.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 4053 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

****

आर–एपीडीआरपी में वर्षवार स्वीकृतियां एवं वितरण

(सभी राशि करोड़ रूपये में)(28/02/2013 के अनुसार)

राज्य	यूटिलिटी	संस्वीकृत 2010-11	संस्वीकृत 2011-12	संस्वीकृत 2012-13	संचित संस्वीकृत (2008-09से 2012-13 तक)	वितरण 2010-11	वितरण 2011-12	वितरण 2012-13	संचयी वितरण (2008-09 से 2012-13तक)
हरियाणा	यूएचबीवीएनएल	230.69	257.79	0.00	563.64	0.00	0.00	0.00	22.54
	डीएचबीवीएनएल	0.00	185.10	0.00	275.57	0.00	0.00	0.00	27.14
एचपी	एचपीएसईबी	337.52	16.79	0.00	435.37	101.25	0.00	29.59	155.16
जे एंड के	जे एंड के पीडीडी	17.50	1718.16	0.00	1870.15	5.25	515.45	0.00	561.04
पंजाब	पीएसईबी	0.00	1050.26	0.00	1834.94	0.00	207.41	10.26	368.07
चंडीगढ़	ईडी	33.34	0.00	0.00	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	एवीवीएनएल	255.63	0.00	0.00	462.67	46.39	0.00	0.00	80.14
	जेएवीवीएनएल	476.06	0.00	0.00	703.37	86.18	0.00	0.67	141.22
	जेओवीवीएनएल	716.93	0.00	0.00	841.27	119.64	0.00	0.00	149.76
यूपी	एमवीवीएनएल	470.93	642.29	0.00	1344.08	70.64	60.33	103.44	303.67
	पूर्वा वीवीएनएल	350.85	74.11	0.00	533.93	52.63	0.00	22.23	107.55
	पश्चिम वीवीएनएल	474.11	453.66	0.00	1130.78	71.12	0.00	84.99	217.01
	डीवीवीएनएल	535.81	562.53	0.00	1192.03	80.37	0.00	91.34	199.08
उत्तराखंड	यूपीसीएल	0.00	409.18	0.00	535.00	0.00	33.59	117.79	189.13
एमपी	एमपीपीकेवीवीसीएल(ई)	679.81	0.00	0.00	766.31	97.97	30.92	27.61	178.64
	एमपीपीकेवीवीसीएल(सी)	862.64	0.00	0.00	977.70	134.69	2.55	0.00	172.09
	एमपीपीकेवीवीसीएल(डब्लू)	166.64	70.03	0.00	624.25	21.58	8.15	10.90	106.20
गुजरात	पीजीवीसीएल	166.93	-0.15	0.00	804.35	118.95	0.00	19.57	161.09
	डीजीवीसीएल	32.18	7.43	0.00	246.21	34.53	0.00	10.15	51.70
	एमजीवीसीएल	26.18	-4.26	0.00	218.70	23.30	0.00	25.57	77.00
	यूजीवीसीएल	33.82	2.34	0.00	93.75	13.84	0.00	0.70	24.43
छत्तीसगढ़	सीएसईबी	0.00	751.30	0.00	873.75	0.00	0.00	118.85	155.59
महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	1793.51	1682.31	154.54	3954.78	197.09	344.02	27.68	666.11
	बेस्ट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गोवा	गोआ ईडी	0.00	0.00	0.00	110.73	0.00	0.00	0.00	31.47
दमन एवं दीव	ईडी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एपी	एपीसीपीडीसीएल	823.91	65.15	0.00	1064.09	123.59	19.55	0.00	195.65
	एपीईपीडीसीएल	0.79	0.00	0.00	64.76	0.73	0.00	0.00	18.93
	एपीएनपीडीसीएल	12.47	0.00	0.00	217.91	0.00	3.74	0.00	41.21
	एपीएसपीडीसीएल	39.19	0.00	0.00	215.45	0.00	11.76	0.00	54.38
कर्नाटक	बेस्कॉम	0.00	0.00	0.00	551.64	43.78	0.00	0.00	121.95
	सेस्कॉम	76.42	0.00	0.00	207.29	26.93	0.00	0.00	35.25
	गेस्कॉम	0.00	0.00	0.00	238.16	30.12	0.00	0.00	41.33
	हेस्कॉम	72.88	0.00	0.00	330.98	0.00	41.75	0.00	57.54
	मेस्कॉम	0.00	0.00	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00	3.62
केरल	केएसईबी	926.33	28.99	206.13	1375.85	75.51	80.25	30.92	250.99
तमिलनाडु	टीएनईबी	3357.82	0.00	0.00	3878.73	526.23	4.77	0.00	671.69
पांडिचेरी	पीडी	0.00	0.00	0.00	27.53	0.00	4.50	0.00	4.50
विहार	बीएसईबी	0.00	647.18	530.05	1371.81	0.00	0.00	82.53	140.90
झारखंड	जेएसईबी	0.00	0.00	0.00	160.60	0.00	18.18	0.00	48.18
प. बंगाल	डब्लूबीएसईडीसीएल	551.41	161.15	0.00	872.54	82.05	45.87	55.87	231.78
अं. निकोबार	पीडी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	एपीडीसीएल	0.60	665.87	0.00	839.65	0.00	124.15	75.79	251.89
अरूणाचल	पीडी	37.68	0.00	0.00	37.68	11.30	0.00	0.00	11.30
नागालैंड	पीडी	34.58	0.00	0.00	34.58	10.37	0.00	0.00	10.37
मणिपुर	पीडी	0.00	0.00	0.00	31.55	9.47	0.00	0.00	9.47
मेघालय	एमईएसईबी	0.00	0.00	0.00	33.97	10.19	0.00	0.00	10.19
मिजोरम	पीडी	0.86	0.00	0.00	35.12	10.54	0.00	0.00	10.54
सिक्किम	पीडी	68.46	0.00	0.00	94.76	20.54	0.00	0.00	28.43
त्रिपुरा	पीडी	0.82	148.26	16.83	200.28	0.00	43.07	6.71	60.09
कुल		13665.30	9595.47	907.55	32323.67	2256.78	1600.00	953.16	6456.01

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4054
जिसका उत्तर 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

जल विद्युत उत्पादन

†4054. **श्री धनंजय सिंहः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापित क्षमता की तुलना में इनसे उत्पादित विद्युत का परियोजना–वार और राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इससे उत्पादित विद्युत में इन वर्षों में कमी का रुख रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह मानते हुए कि अधिकतम विद्युत उत्पादन इन परियोजनाओं की सबसे महत्वपूर्ण बात हो सकती है, सर्वाधिक मांग वाले समय के दौरान जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : विगत तीन वर्षों अर्थात 2009-10 से 2011-12 के प्रत्येक के दौरान उनकी संस्थापित क्षमता (25 मेगावाट से अधिक) की तुलना में विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन के राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) : वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित कुल विद्युत क्रमशः 1,03,916.27 एमयू, 1,14,257.36 एमयू और 1,30,509.52 एमयू था और इसलिए विगत तीन वर्षों से इसमें कमी पाई गई है।

(घ) : जलाशय आधारित जल विद्युत परियोजनाओं का यूनीक सेलिंग प्रपोजीशन (यूएसपी) यह है कि उनका उत्पादन ग्रिड के व्यस्ततमकालीन मांग के अनुसार निर्धारित हो सकता है। विगत तीन वर्षों के लिए व्यस्ततनकालीन घंटों के दौरान जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

1900 बजे (व्यस्ततम समय) अखिल भारतीय औसत जल विद्युत उत्पादन (मेगावाट)			
माह/वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12
अप्रैल	11436	11511	12936
मई	9994	12090	13815
जून	11855	13201	16049
जुलाई	14468	14789	19396
अगस्त	16994	17816	23305
सितंबर	19074	23058	28546
अक्टूबर	18957	20258	23590
नवंबर	16390	19152	19995
दिसंबर	15592	17139	17322
जनवरी	14553	16250	16936
फरवरी	14436	16162	15933
मार्च	12808	14835	15028

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 21.3.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 4054 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

****

देश में वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान जल विद्युत केंद्रों की केंद्रवार/राज्यवार संस्थापित क्षमता के अनुसार वास्तविक उत्पादन (केंद्र क्षमता 25 मेगावाट से ऊपर)

केंद्र/यूटीलिटी	2009-10		2010-11		2011-12	
	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (मि. यू.)	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (मि. यू.)	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (मि. यू.)
उत्तरी क्षेत्र						
केंद्रीय						
बीबीएमबी						
1. भाखड़ा एल एंड आर	1325.00	4497.53	1325.00	5725.39	1325.00	6198.51
2 गंगुवाल	77.65	545.06	77.65	432.94	77.65	534.40
3. कोटा	77.65	440.16	77.65	455.81	77.65	618.77
4. देहार	990.00	2937.83	990.00	3313.01	990.00	3254.90
5. पोंग	396.00	950.74	396.00	1346.28	396.00	1852.88
कुल बीबीएमबी	2866.30	9371.32	2866.30	11273.43	2866.30	12459.46
एनएचपीसी						
1. बैरा सिउल	198.00	622.87	198.00	710.99	198.00	730.60
2. सलाल-I	345.00	3023.60	345.00	3229.67	345.00	3219.00
3. सलाल-II	345.00		345.00		345.00	
4. टनकपुर	94.20	471.11	94.20	464.99	94.20	487.60
5. चमेरा-I	540.00	2064.64	540.00	2407.75	540.00	2659.30
6. चमेरा-II	300.00	1368.84	300.00	1439.44	300.00	1521.70
7. चमेरा-III						
8. उरी	480.00	2723.36	480.00	3039.45	480.00	2704.4
9. धौलीगंगा	280.00	1133.86	280.00	1134.08	280.00	1156.80
10. दुलहस्ती	390.00	2263.96	390.00	2233.47	390.00	2198.70
11. सेवा-II (जे. एंड के.)			120.00	363.26	120.00	561.90
12. चुटक						
कुल एनएचपीसी	2972.20	13672.24	3092.20	15023.10	3092.20	15240.00
एसजेवीएनएल						
1. नाथ्पा झाकरी	1500.00	7018.86	1500.00	7140.09	1500.00	7610.32
टीएचडीसी						
1. टेहरी	1000.00	2116.78	1000.00	3116.03	1000.00	3983.67
2. कोटेश्वर			200.00		400.00	607.63
कुल टीएचडीसी	1000.00	2116.78	1200.00	3116.03	1400.00	4591.30
कुल केंद्रीय	8338.50	32179.20	8658.50	36552.65	8858.50	39901.08
हिमाचल प्रदेश						
एचपीएसईबीएल						
1. गिरी बाटा	60.00	110.15	60.00	233.19	60.00	214.86
2. बस्सी	60.00	189.20	60.00	191.75	60.00	155.43
3. संजय	120.00	625.14	120.00	647.22	120.00	590.08
4. लारजी	126.00	601.76	126.00	666.43	126.00	696.93
कुल एचपीएसईबीएल	366.00	1526.25	366.00	1738.59	366.00	1657.30
मलाना पावर कं. लि. (एमपीसीएल)						
1. मलाना	86.00	301.76	86.00	333.64	86.00	376.06
जयप्रकाश हाइड्रो पावर लि. (जेएचपीएल)						
1. बसपा-II	300.00	1303.46	300.00	1474.00	300.00	1401.58
अलीयान दुहांगन पावर लि. (एडीपीएचएल)						
1. अलियान दुहांगन (निजी)		0.00	192.00	144.10	192.00	616.01

जेपी करचम हाइड्रो कार्पोरेशन लि.						
1. करचम वांगटू					1000.00	2514.36
लैंको ग्रीन पावर						
1.बुधील(निजी)		0.00		0.00		-
एवरेस्ट पावर प्रा. लि.						
1. मलाना - II (निजी)		0.00		0.00	100.00	73.38
कुल एचपी	752.00	3131.47	944.00	3690.33	2044.00	6638.69
जम्मू एवं कश्मीर						
जे एंड के एसपीडीसी						
1. लोअर झेलम	105.00	391.24	105.00	377.98	105.00	483.67
2. अपर सिंध II	105.00	217.94	105.00	294.08	105.00	310.54
3. बगलिहार	450.00	2703.27	450.00	2880.14	450.00	2800.86
कुल जे एंड के एसपीडीसी	660.00	3312.45	660.00	3552.20	660.00	3595.07
राजस्थान						
आरआरवीयूएनएल						
1. आर.पी. सागर	172.00	143.86	172.00	174.40	172.00	363.55
2. जवाहर सागर	99.00	117.25	99.00	146.48	99.00	277.53
3. माही बजाज I एवं II	140.00	85.20	140.00	69.26	140.00	180.49
कुल आरआरवीयूएनएल	411.00	346.31	411.00	390.14	411.00	821.57
पंजाब						
पीएसपीसीएल						
1. शानन	110.00	510.53	110.00	597.98	110.00	517.36
2. मुकेरीयन I - IV	207.00	885.94	207.00	1069.45	207.00	1357.76
3. एपी साहिब I एंड II	134.00	697.35	134.00	790.00	134.00	823.96
4. रंजीत सागर(थीन डैम)	600.00	1068.76	600.00	1733.39	600.00	1927.77
कुल पीएसपीसीएल	1051.00	3162.58	1051.00	4190.82	1051.00	4626.85
उत्तर प्रदेश						
यूपीजेवीएनएल						
1. रिहंद	300.00	402.01	300.00	195.94	300.00	632.99
2. ओबरा	99.00	163.36	99.00	83.98	99.00	243.90
3. माताटीला	30.60	98.25	30.60	95.26	30.60	152.82
4. खैरा	72.00	249.98	72.00	324.82	72.00	373.96
कुल यूपीजेवीएनएल	501.60	913.60	501.60	700.00	501.60	1403.67
उत्तरांचल						
यूजेवीएनएल						
1. खटीमा	41.40	151.01	41.40	155.95	41.40	164.02
2. राम गंगा	198.00	174.28	198.00	325.62	198.00	416.43
3. ढाकरानी(वाई स्टे.I)	33.75	105.09	33.75	143.01	33.75	152.74
4. दालीपुर (वाई स्टे.I)	51.00	160.14	51.00	210.84	51.00	229.59
5. कुलहल (वाई स्टे.IV)	30.00	112.56	30.00	142.55	30.00	157.84
6. चीब्रो (वाई स्टे.II)	240.00	587.98	240.00	795.65	240.00	848.97
7. चिल्ला	144.00	739.52	144.00	775.15	144.00	910.08
8. खोदरी (वाई स्टे.II)	120.00	275.88	120.00	361.78	120.00	382.84
9. मनेरी भली-I	90.00	449.07	90.00	504.40	90.00	516.12
10. मनेरी भाली-II	304.00	1198.03	304.00	1335.96	304.00	1351.34
कुल यूजेवीएनएल	1252.15	3953.56	1252.15	4750.91	1252.15	5129.97
जय प्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड(जेएचपीएल)						
1. विष्णु प्रयाग	400.00	1977.35	400.00	2022.72	400.00	2176.87
कुल उत्तरांचल	1652.15	5930.91	1652.15	6773.63	1652.15	7306.84
कुल उत्तरी क्षेत्र	13366.25	48976.52	13878.25	55849.77	15178.25	64293.77
पश्चिमी क्षेत्र						
गुजरात						

एसएसएनएनएल						
1. सरदार सरोवर सीएचपीएच	250.00	520.94	250.00	327.60	250.00	502.71
2. सरदार सरोवर आरबीपीएच	1200.00	1980.42	1200.00	3261.18	1200.00	3726.62
कुल एसएसएनएनएल	1450.00	2501.36	1450.00	3588.78	1450.00	4229.33
जीएसईसीएल						
1. उकाई	300.00	323.37	300.00	457.35	300.00	457.57
2. कदाना पीएसएस	240.00	114.90	240.00	118.18	240.00	272.05
कुल जीएसईसीएल	540.00	438.27	540.00	575.53	540.00	729.62
कुल गुजरात	1990.00	2939.63	1990.00	4164.31	1990.00	4958.95
मध्य प्रदेश						
केंद्रीय /कॉमन						
एनएचडीसी						
1. इंदिरा सागर	1000.00	2118.33	1000.00	2197.77	1000.00	3286.35
2. ओमकारेश्वर	520.00	952.9	520.00	999.95	520.00	1376.02
कुल एनएचडीसी	1520.00	3071.23	1520.00	3197.72	1520.00	4662.37
एमपीजीपीसीएल						
1. गांधी सागर	115.00	131.07	115.00	89.47	115.00	293.73
2. पेंच	160.00	393.68	160.00	305.70	160.00	440.21
3. बारगी	90.00	192.06	90.00	407.84	90.00	534.04
4. माधीखेरा	60.00	15.56	60.00	20.83	60.00	165.87
5. बाणसागर टोंस-I	315.00	756.37	315.00	705.27	315.00	1371.06
6 बाणसागर टोंस-II	30.00	52.25	30.00	65.97	30.00	54.98
7 बाणसागर टोंस--III	60.00	80.14	60.00	63.91	60.00	107.67
8. राजघाट	45.00	108.67	45.00	41.26	45.00	106.16
कुल एमपीजीपीसीएल	875.00	1729.8	875.00	1700.25	875.00	3073.72
कुल म. प्र.	2395.00	4801.03	2395.00	4897.97	2395.00	7736.09
छत्तीसगढ़						
सीएसपीजीसी						
1. हसदेव बानगो	120.00	255.05	120.00	125.21	120.00	314.11
कुल सीएसपीजीसी	120.00	255.05	120.00	125.21	120.00	314.11
महाराष्ट्र						
महाजेनको						
1. कोयना स्टे I एवं II	600.00	2496.97	600.00	1226.37	600.00	1292.9
2. कोयना स्टे III	320.00		320.00	709.79	320.00	727.18
3. कोयना IV	1000.00	710.58	1000.00	1761.10	1000.00	1736.86
4. कोयना डीपीएच	36.00	95.14	36.00	92.02	36.00	128.47
5. वैतरना	60.00	117.71	60.00	127.05	60.00	158.30
6. तिलारी	60.00	132.65	60.00	112.95	60.00	126.51
7. भैरा टेल रेस	80.00	93.89	80.00	81.04	80.00	103.27
8. घाटघर पीएसएस	250.00	149.15	250.00	350.89	250.00	317.19
कुल महाजेनको	2406.00	3796.09	2406.00	4461.21	2406.00	4590.68
डडसन-लिंडब्लोम हाइड्रो पावर प्रा. लि.(डीएलएचपी)						
1. भंडारधारा II	34.00	54.62	34.00	56.71	34.00	116.69
कुल डीएलएचपी	34.00	54.62	34.00	56.71	34.00	116.69
टाटा हाइड्रो						
1. भीरा	150.00	890.81	150.00	875.34	150.00	1008.08
2. भीरा पीएसएस	150.00		150.00		150.00	
3. भीवपुरी	75.00	304.75	75.00	198.88	75.00	247.28
4. खोपोली	72.00	259.47	72.00	236.10	72.00	275.71
कुल टाटा	447.00	1455.03	447.00	1310.32	447.00	1531.07
कुल महाराष्ट्र	2887.00	5305.74	2887.00	5828.24	2887.00	6238.44

कुल पश्चिमी	7392.00	13301.45	7392.00	15015.73	7392.00	19247.59
दक्षिणी क्षेत्र						
आंध्र प्रदेश						
एपीजेनको						
1. मचुकुंड	114.75	610.14	114.75	585.46	114.75	485.33
2. टीबी डैम एंड हंपी	72.00	189.09	72.00	185.76	72.00	187.05
3. अपर सिलेरू I एंड II	240.00	232.05	240.00	419.65	240.00	415.46
4. लोअर सिलेरू	460.00	629.29	460.00	1065.09	460.00	1032.83
5. एनजे सागर पीएसएस	815.60	1213.94	815.60	1298.04	815.60	1129.25
6. एनजे सागर आरबीसी	90.00	115.97	90.00	282.58	90.00	156.06
7. एनजे सागर एलबीसी	60.00	30.72	60.00	137.14	60.00	68.80
9 श्रीसेलम आरबी	770.00	1278.52	770.00	1835.54	770.00	1219.16
9. पोचमपाद	27.00	2.55	27.00	82.70	27.00	88.21
10. श्रीसेलम एलबी	900.00	1279.93	900.00	1991.77	900.00	1381.68
11. प्रियादर्शनी	117.00	238.94	195.00	125.85	234.00	207.22
कुल एपीजेनको	3666.35	5821.14	3744.35	8009.58	3783.35	6371.05
कुल आंध्र प्रदेश	3666.35	5821.14	3744.35	8009.58	3783.35	6371.05
कर्नाटक						
केपीसीएल						
1. शरावती	1035.00	5238.11	1035.00	4548.08	1035.00	5707.82
2. कालीनदी	855.00	2480.25	855.00	2031.53	855.00	3671.74
3. सूपा डीपीएच	100.00	392.26	100.00	533.03	100.00	553.98
4. भद्रा	39.20	54.46	39.20	56.36	39.20	73.50
5. लिंगनामक्की	55.00	284.37	55.00	182.84	55.00	306.40
6. वराही	460.00	1200.46	460.00	987.14	460.00	1125.98
7. घाटप्रभा	32.00	89.86	32.00	90.79	32.00	100.91
8. कद्रा	150.00	354.64	150.00	302.54	150.00	487.71
9. कोडासाली	120.00	321.20	120.00	258.68	120.00	455.52
10. गरसोप्पा	240.00	558.96	240.00	464.15	240.00	582.59
11. अमाटी डैम	290.00	536.86	290.00	540.3	290.00	521.15
12. जोग	139.20	344.86	139.20	317.99	139.20	236.73
13. शिवासमुंद्रम	42.00	298.28	42.00	313.34	42.00	335.65
14. मुनीराबाद	28.00	93.92	28.00	120.12	28.00	98.00
कुल केपीसीएल	3585.40	12248.49	3585.40	10746.89	3585.40	14257.68
कुल कर्नाटक	3585.40	12248.49	3585.40	10746.89	3585.40	14257.68
केरल						
केएसइबी						
1. इडुक्की	780.00	2035.73	780.00	2258.69	780.00	3044.41
2. सबारीगिरी	300.00	1403.19	300.00	1372.93	300.00	1434.25
3. कुट्टीयाडी	125.00	639.12	125.00	564.34	125.00	774.73
4. कुट्टीयाडी एडीशनल एक्टें			100.00		100.00	
5. शोलायर	54.00	229.56	54.00	243.25	54.00	220.36
6. सेनगुलाम	48.00	157.78	48.00	170.62	48.00	162.27
7. नरीमंगलम	70.00	337.17	70.00	370.57	70.00	360.56
8. पल्लीवसल	37.50	240.17	37.50	235.54	37.50	231.66
9. पोरीगालकुथु	32.00	155.98	32.00	187.57	32.00	184.76
10. पन्नीयार	30.00	132.8	30.00	180.87	30.00	165.85
11. इदमलयार	75.00	333.97	75.00	376.87	75.00	348.98
12. लोअर पेरीयार	180.00	525.34	180.00	615.95	180.00	648.62
13. कक्कड़	50.00	224.90	50.00	224.42	50.00	231.53

कुल केएसईबी	1781.50	6415.71	1881.50	6801.62	1881.50	7807.98
कुल केरल	1781.50	6415.71	1881.50	6801.62	1881.50	7807.98
तमिलनाडु						
टैंजेडको						
1. पइकारा	59.20	74.03	59.20	30.75	59.20	41.63
2. मोयार	36.00	212.48	36.00	155.5	36.00	131.65
3. कुंदा I-V	555.00	1703.51	555.00	1501.69	555.00	1356.15
4. पारसंस वैली	30.00	65.33	30.00	37.08	30.00	35.89
5. सुरूलियार	35.00	99.05	35.00	98.1	35.00	115.57
6. अलीयार	60.00	173.94	60.00	172.12	60.00	183.09
7. मेट्टूर डैम एंड टनेल	240.00	471.87	250.00	360.89	250.00	623.89
8. लोअर मेट्टू I-IV	120.00	298.24	120.00	262.62	120.00	403.25
9. पेरियार	140.00	396.16	140.00	432.04	140.00	537.47
10. पापनासम	28.00	130.04	32.00	137.57	32.00	122.36
11. सरकारपथी	30.00	121.17	30.00	134.33	30.00	109.57
12. शोलायर I एंड II	95.00	350.3	95.00	413.05	95.00	278.61
13. कोडयारI एंडII	100.00	280.28	100.00	145.54	100.00	296.66
14. कदमपराई पीएसएस	400.00	499.44	400.00	572.45	400.00	510.53
15. पइकारा अल्टीमेट	150.00	560.23	150.00	431.62	150.00	356.95
16.भवानी कट्लई बैराज-I	30.00	74.96	30.00	72.17	30.00	97.95
17.भवानी कट्लई बैराज-III						-
कुल टैंजेडको	2108.20	5511.03	2122.20	4957.52	2122.20	5201.22
कुल दक्षिणी	11141.45	29996.37	11333.45	30515.61	11372.45	33637.93
पूर्वी क्षेत्र						
झारखंड						
जेएसईबी						
1. स्वर्णरेखा I एंडII	130.00	115.68	130.00	3.46	130.00	270.05
कुल झारखंड	130.00	115.68	130.00	3.46	130.00	270.05
डीवीसी						
1. मैथन (डब्लूबी)	63.20	102.48	63.20	55.72	63.20	121.95
2. पंचेत	80.00	85.87	80.00	59.28	80.00	174.17
कुल डीवीसी	143.20	188.35	143.20	115.00	143.20	296.12
ओडिशा						
ओएचपीसी						
1. बालीमेला	510.00	784.82	510.00	1284.64	510.00	1047.29
2. हीराकुड IएंडII	347.50	702.89	347.50	939.48	347.50	1025.63
3. रेंगाली	250.00	551.64	250.00	270.23	250.00	873.31
4. अपर कोलाब	320.00	407.92	320.00	661.2	320.00	604.24
5. अपर इंद्रावती	600.00	1472.74	600.00	1598.7	600.00	1436.86
कुल ओएचपीसी	2027.50	3920.01	2027.50	4754.25	2027.50	4987.33
पश्चिम बंगाल						
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल						
1. जलढाका I	27.00	0	27.00	51.03	27.00	84.25
2. रम्माम II	50.00	209.64	50.00	200.09	50.00	227.18
3. पुरूलिया पीएसएस	900.00	867.83	900.00	878.87	900.00	766.46
कुल डब्ल्यू.बी.एस.ई.बी.	977.00	1077.47	977.00	1129.99	977.00	1077.89
एनएचपीसी						
1. तीस्ता लो डैम III						
कुल एनएचपीसी (डब्ल्यू बी)						
सिक्किम						
एनएचपीसी						
1. रंगित (सिक्किम)	60.00	329.34	60.00	352.2	60.00	352.60

2. तीस्ता-V (सिक्किम)	510.00	2597.50	510.00	2624.26	510.00	2568.00
कुल एनएचपीसी(सिक्किम)	570.00	2926.84	570.00	2976.46	570.00	2920.60
कुल पूर्वी	3847.70	8228.35	3847.70	8979.16	3847.70	9551.99
उत्तर पूर्वी क्षेत्र						
असम						
एपीजीसीएल						
1. कारबी लांगपी	100.00	400.37	100.00	406.78	100.00	460.94
मेघालय						
एमईसीएल						
1. कीरदेमुकलाइ	60.00	144.90	60.00	205.35	60.00	132.62
2. उमीयाम स्टे.I	36.00	336.43	36.00	47.45	36.00	98.96
3. उमीयाम स्टे.IV	60.00		60.00	30.43	60.00	184.13
4. मिट्डु		0.00			84.00	0.00
कुल एमईसीएल	156.00	481.33	156.00	283.23	240.00	415.71
नीपको						
1. खांडोंग	75.00	149.43	75.00	155.57	75.00	178.79
2. कोपीली	200.00	784.43	200.00	792.02	200.00	992.06
3. दोयांग	75.00	183.55	75.00	256.04	75.00	228.84
4. रंगानदी	405.00	1033.08	405.00	1399.56	405.00	978.40
कुल नीपको	755.00	2150.49	755.00	2603.19	755.00	2378.09
एनएचपीसी						
1. लोकटक(मणिपुर)	105.00	381.39	105.00	603.89	105.00	523.50
कुल केंद्रीय	860.00	2531.88	860.00	3207.08	860.00	2901.59
कुल उत्तर पूर्वी	1116.00	3413.58	1116.00	3897.09	1200.00	3778.24
कुल अखिल भारतीय	36863.40	103916.27	37567.40	114257.36	38990.40	130509.52

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4057
जिसका उत्तर 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

जल विद्युत परियोजनाओं में विलंब

†**4057. श्री संजय धोत्रेः**
श्री भर्तृहरि महताबः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बड़े बांधों पर आधारित परियोजनाओं के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना संबंधी नीति की अस्पष्टता के कारण देश में कई जल विद्युत परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निरस्त हुई जल विद्युत परियोजनाओं का परियोजना–वार और राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी परियोजनाओं के विलंब के कारण लागत में वृद्धि का ब्यौरा क्या है तथा परियोजना–वार इनमें कितनी निधि अटकी है; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन, निरस्त परियोजनाओं के पुनरुद्धार और उनकी बढ़ती लागत की वसूली में अत्यधिक विलंब से निपटने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : जी नहीं।
(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4060
जिसका उत्तर 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

ताप विद्युत संयंत्र

†4060. डॉ॰ रतन सिंह अजनाला:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान पंजाब में स्थापित ताप विद्युत संयंत्रों का स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य में विद्युत की मांग को केवल ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली से पूरा किया जाता है, तथा यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में विद्युत उत्पादन और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) पंजाब सरकार द्वारा राज्य में ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार के पास प्रस्तुत वर्तमान में लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन प्रस्तावों के निपटान में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त प्रस्तावों पर कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : विगत पाँच वर्षों के दौरान, लहरामोहब्बत, पंजाब में गुरू हरगोविन्द ताप संयंत्र (जीएचटीपी) के निम्नलिखित यूनिटों के चालू किया गया है :

परियोजना का नाम/यूनिट संख्या/क्षमता	**चालू होने की तिथि**
जीएचटीपी चरण-II, लहरामोहब्बत यू-3 250 मेगावाट यू-4 250 मेगावाट	यू-3 : 03.01.2008 यू-4 : 31.07.2008

इसके अतिरिक्त पंजाब में निम्नलिखित परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं :

परियोजना	यूनिट	क्षमता (मेगावाट)	चालू करने के लक्ष्य की समय-सीमा
गोइंदवाल साहिब	यू-1	270	जून-13
	यू-2	270	अक्टूबर-13
राजपुरा टीपीपी (नाभा)	यू-1	700	जनवरी-14
	यू-2	700	मार्च-14
तलवन्डी साबो टीपीपी	यू-1	660	दिसंबर-13
	यू-2	660	अप्रैल-14
	यू-3	660	जुलाई-14

(ख) : पंजाब राज्य में माँग को अपने ताप एवं जलविद्युत परियोजनाओं के माध्यम से पूरा किया जाता है, पंजाब बीबीएमबी से शेयर, केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं से विद्युत खरीद, बैंकिंग और अल्पावधि विद्युत खरीद करता है । पंजाब राज्य के लिए पिछले तीन वर्षों 2010-11, 2011-12, और 2012-13 (फरवरी, 2013 तक) के लिए क्रमशः 42520 एमयू, 44824एमयू और 42711 एमयू निवल ऊर्जा उपलब्धता के ब्यौरे हैं ।

(ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, कोई भी उत्पादन कंपनी लाइसेंस प्राप्त किए बिना एक उत्पादन केन्द्र की स्थापना, प्रचालन और रख-रखाव कर सकता है, यदि यह ग्रिड के साथ तकनीकी मानकों संबंधी संयोजकता के साथ पालन करता है । अतः सरकार के पास पंजाब सरकार का ताप विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए कोई भी प्रस्ताव लम्बित नहीं है ।

(घ)और (ङ) : उपर्युक्त (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4077
जिसका उत्तर 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

सीमा पर जल–विद्युत परियोजनाएं

†**4077. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकरः**
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जल–विद्युत परियोजनाओं में विदेशी कम्पनियों की भागीदारी के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी विदेशी कम्पनियों को अनुमति देते समय देश के सुरक्षा–सरोकारों को ध्यान में रखा गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : जी, हां।

(ख) : देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों की भागीदारी वाली जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट और इससे अधिक) की सूची **अनुबंध** में संलग्न है।

(ग) से (ड) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 03.09.2009 को संवेदनशील क्षेत्रों केंद्रीय और राज्य क्षेत्रों में तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादनकर्ताओं द्वारा स्थापित की जा रही जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के संबंध में कार्य पैकेज के लिए निविदा में विदेशी कंपनियों की भागीदारी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। "इन दिशा-निर्देशों के खण्ड-2 के अनुसार संवेदनशील क्षेत्रों एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में एचईपी के संबंध में विकल्प करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा एक महत्वपूर्ण निर्धारक होगा।"

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 21.3.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 4077 के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

****

देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं में विदेशी कंपनियों की भागीदारी से कार्यान्वयनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की सूची

(नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को छोड़कर)

क्र. सं.	परियोजना का नाम /क्षेत्र/संस्थापित क्षमता	कार्यान्वयन एजेंसी	लाभ (मेगावाट)	चालू होने का संभावना	भाग लेने वाले विदेशी कंपनियों के नाम
	जम्मू एवं कश्मीर				
1.	उरी-II/ केंद्रीय 4x60=240 मे.वा.	एनएचपीसी	240	2012-13	मैसर्स एल्सटॉम, इंडिया एवं फ्रांस(ई एंड एम कार्य)
2.	किशनगंगा / केंद्रीय 3x110=330 मे.वा.	एनएचपीसी	330	2016-17	डीएसडी नोइल जीएमविल, जर्मनी(एच.एम कार्य)
3.	बगलिहार-II/ राज्य 3x150=450 मे.वा.	जेकेपीडीसी	450	2016-17	वायथ-एंड्रीट्ज कोनसोर्टियम(ई एंड एम कार्य)
	हिमाचल प्रदेश				
4.	कोल डैम / केंद्रीय 4x200 =800 मे.वा.	एनटीपीसी	800	2014-15	भेल, तोशिबा एवं मरूबेनी (ई एंड एम कार्य)
	उत्तराखंड				
5.	टेहरी पीएसएस/ केंद्रीय 4x250 = 1000 मे.वा.	टीएचडीसी	1000	2017-18	मैसर्स एल्सटॉम, फ्रांस (ई एंड एम कार्य)
	अरूणाचल प्रदेश				
6.	सुबानसिरी लोअर / केंद्रीय 8x250 = 2000	एनएचपीसी	2000	2016-18	मैसर्स एल्सटॉम, फ्रांस एवं नई दिल्ली(ई एंड एम कार्य)

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4082
जिसका उत्तर 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

एन॰टी॰पी॰सी॰ संयंत्रों का बन्द होना

†**4082. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपालः**
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एन॰टी॰पी॰सी॰) ने अपनी कुछ इकाइयों/संयंत्रों को बन्द करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इकाई–वार/संयंत्र–वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : आज की तिथि तक, एनटीपीसी ने अपनी किसी भी यूनिटों/संयंत्रों को स्थायी रूप से बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4083
जिसका उत्तर 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत क्षेत्रक में स्वतंत्र संस्थाएं

†**4083. श्री एम॰ के॰ राघवनः**
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत क्षेत्रक में राज्य–स्तर पर प्रस्तावित द्विभाजन एवं स्वतंत्र संस्थाओं के सृजन संबंधी प्रस्ताव का सभी राज्यों द्वारा कार्यान्वयन किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों का कार्यान्वयन न करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम के सभी उपबंधों को लागू किया जाए; और

(घ) राज्य स्तर पर ऐसी स्वतंत्र संस्थाओं के सृजन से प्राप्त लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख): विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 172 के साथ पठित धारा 131 में राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन की व्यवस्था की गई है । इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक वर्ष की अवधि की उतनी अवधि के लिए, जो केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा आपस में लय की जाए, राज्य पारेषण यूटिलिटी और लाइसेन्सी के रूप में कार्य को जारी रखने के लिए राज्य विद्युत बोर्ड को प्राधिकृत कर सकेगी । तदनुसार, संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर, केन्द्र सरकार ने राज्य पारेषण यूटिलिटी और लाइसेन्सी के रूप में कार्य करने के लिए राज्य विद्युत बोर्ड को समय-समय पर विस्तार दिया है । कुल 21 राज्य विद्युत बोर्डों में से, अब तक 19 राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन किया जा चुका है । झारखण्ड और केरल के राज्य विद्युत बोर्डों का अभी पुनर्गठन किया जाना है ।

(ग): विद्युत समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, अधिनियम के प्रावधानों में इस अधिनियम, के अंतर्गत परिभाषित केन्द्र और राज्य सरकारों तथा विभिन्न सांविधिक निकायों और इकाइयों के

कार्यों और दायित्वों की व्यवस्था की गई है । केन्द्र सरकार समय-समय पर विद्युत अधिनियम, 2003 के विभिन्न

प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मोर्चों पर राज्य सरकारों के साथ मामले को उठा रही है । राज्यों द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के कुछ प्रावधानों के कार्यान्वयन की स्थिति **अनुबंध** में दी गई है ।

(घ): विद्युत मंत्रालय ने राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन के प्रभाव पर इंडियन इन्सटीयूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आईआईपीए) द्वारा एक अध्ययन करवाया है ।

इस अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि "कुछ कमियों के वावजूद भी, पुनर्गठन का समग्र प्रभाव सकारात्मक और सही दिशा में रहा है "। आईआईपीए द्वारा दी गई रिपोर्ट बताती है कि चार राज्यों में निम्नलिखित समग्र सुधार देखे गए हैं जिन्होंने अपने राज्य विद्युत बोर्डों (आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और उड़ीसा) का पुनर्गठन किया है ।

(i) एटीएण्डसी हानियों में कमी की प्रवृत्ति ।

(ii) बढ़े हुए तथा अधिक केन्द्रित निवेश ।

(iii) क्षमता अभिवृद्धि और विद्युत प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण ।

(iv) स्थानीयकरण और अकुशलता की कमी ।

(v) संशोधित कस्टमर केयर ।

(vi) मीटरिंग, बिलिंग एवं संग्रह आदि में प्रगति ।

(vii) यूटिलिटियों का बढ़ा हुआ दायित्व ।

(viii) विनियामक तंत्र की स्थापना ।

(ix) उपभोक्ताओं का सशक्तिकरण ।

(x) नियमित आधार पर यूटिलिटियों के निष्पादन की रिपोर्टिंग एवं समीक्षा ।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 21.3.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 4083 के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

****

विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई (18.3.2013 तक)

क्रम सं.	राज्य/संघ शामिल क्षेत्र	राज्य विद्युत विनियामक आयोग का गठन (धारा 82)	उपभोक्ता शिकायत निपटारा फारम की स्थापना (धारा 42(5))	लोकपाल की नियुक्ति(धारा 42(6))
1.	आंध्र प्रदेश	हाँ	हाँ	हाँ
2.	असम	हाँ	हाँ	हाँ
3.	बिहार	हाँ	हाँ	हाँ
4.	छत्तीसगढ़	हाँ	हाँ	हाँ
5.	दिल्ली	हाँ	हाँ	हाँ
6.	गुजरात।	हाँ	हाँ	हाँ
7.	हरियाणा।	हाँ	हाँ	हाँ
8.	हिमाचल प्रदेश	हाँ	हाँ	हाँ
9.	झारखंड	हाँ	हाँ	हाँ
10.	कर्नाटक	हाँ	हाँ	हाँ
11.	केरल।	हाँ	हाँ	हाँ
12.	मध्य प्रदेश	हाँ	हाँ	हाँ
13.	महाराष्ट्र।	हाँ	हाँ	हाँ
14.	मेघालय	हाँ	हाँ	हाँ
15.	ओडिशा	हाँ	हाँ	हाँ
16.	पंजाब।	हाँ	हाँ	हाँ
17.	राजस्थान	हाँ	हाँ	हाँ
18.	तमिलनाडु।	हाँ	हाँ	हाँ
19.	उत्तर प्रदेश	हाँ	हाँ	हाँ
20.	उत्तराखंड	हाँ	हाँ	हाँ
21.	पश्चिम बंगाल	हाँ	हाँ	हाँ
22.	अरूणाचल प्रदेश	हाँ	नहीं	नहीं
23.	मिजोरम	हाँ	नहीं	नहीं
24.	मणिपुर	(जेईआरसी मणिपुर एवं मिजोरम)	हाँ	नहीं
25.	नागालैंड	हाँ	नहीं	नहीं
26.	सिक्किम	हाँ	नहीं	नहीं
27.	त्रिपुरा	हाँ	हाँ	हाँ
28.	जम्मू व कश्मीर	हाँ(राज्य अधिनियम अंतर्गत गठन)	हाँ (यद्यपि जम्मू कश्मीर राज्य में केंद्रीय अधिनियम लागू नहीं होता है और वहां राज्य अधिनियम का प्रावधान नहीं है)	
29.	गोवा**	हाँ जेईआरसी के लिए यूटी	हाँ	हाँ
30.	दादर नागर हवेली**		हाँ	हाँ
31.	दमन एवं दीव**		हाँ	हाँ
32.	चंडीगढ़**		हाँ	हाँ
33.	अंदमान निकोबार द्वीपसमूह**		हाँ	हाँ
34.	लक्षद्वीप**		हाँ	हाँ
35.	पुडुचेरी**		हाँ	हाँ

** संघशासित राज्यों (अंडमान एवं निकोबार, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप एवं पुडुचेरी)के लिए जेईआरसी में गोवा राज्य सम्मिलित है ।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4085
जिसका उत्तर 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

दामोदर घाटी निगम द्वारा किया गया अनुबंध

†**4085. श्री डी॰ बी॰ चन्द्रे गौडा:**
क्या **विद्युत** मंत्री दामोदर घाटी निगम द्वारा किये गये अनुबंध के बारे में 20 दिसम्बर, 2012 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4447 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक इस मामले में हुई जांच की क्या प्रगति है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

बोकारो थर्मल पावर स्टेशन 'बी' (बीटीपीएस 'बी') में टरबाइन जेनरेटर यूनिट नं.-3 की ओवरहॉलिंग से संबंधित ठेका का अवार्ड तथा बीटीपीएस 'बी' में टरबाइन जेनरेटर यूनिट नं.-1 की संक्षिप्त ओवरहॉलिंग मैसर्स ईएम सर्विसेज (आई) प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर को अवार्ड की गई है- केंद्रीय सतर्कता आयोग को दिनांक 07.01.2013 को एक रिपोर्ट पहले ही भेज दी गई है। रिपोर्ट के प्राप्त होने पर आयोग ने मुख्य सतर्कता अधिकारी/अनुशासनिक प्राधिकारी की विशेष सिफारिश के साथ संबंधित कर्मचारियों के प्रति उत्तर प्राप्त करने की सलाह दी है। यह मामला प्रक्रियाधीन है और कर्मचारियों के प्रति उत्तर प्राप्त किए जा रहे हैं और आयोग को शीघ्र ही रिपोर्ट भेजी जाएगी।

मैसर्स एनबीसीसी को विभिन्न ठेकों का अवार्ड- इस मामले में मुख्य सतर्कता अधिकारी, डीवीसी के रिपोर्ट की मंत्रालय में जांच की जा रही है।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4091
जिसका उत्तर 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

†**4091. डॉ॰ शफीकुर्रहमान बर्कः**
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासेः
श्रीमती मीना सिंहः
श्री हरि मांझीः
श्री रमेश बैसः
श्री पूर्णमासी रामः
श्री नित्यानंद प्रधानः
श्रीमती जयश्रीबेन पटेलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों के बहुत से गांवों का अभी भी विद्युतीकरण नहीं हुआ है तथा यदि हां, तो आज की तारीख तक तत्संबंधी राज्य–वार/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में राज्य–वार/संघ राज्यक्षेत्र–वार सभी गांवों का विद्युतीकरण कब तक किए जाने की संभावना है तथा बी॰पी॰एल॰ कोटि के घरों में कब तक बिजली प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्र/बी॰पी॰एल॰ आवासों के विद्युतीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को और अधिक धन दिए जाने की संभावना है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर॰जी॰जी॰वी॰वाई॰) के अंतर्गत नियुक्त ठेकेदार ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य बहुत धीमी गति से कर रहे हैं जिसके कारण विद्युतीकरण कार्य में काफी अधिक समय लग रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में जिम्मेदार ठेकेदारों के विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्रवाई की गई/की जा रही है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत, देश में पिछड़े क्षेत्रों सहित 1,12,795 गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों (यूइवी) तथा 3,96,336 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों (पीईवी) के विद्युतीकरण को शामिल करते हुए 648 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं । 28.02.2013 की स्थिति के अनुसार, संचयी रूप से, 1,06,694 गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों तथा

2,89,623 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण कार्य पूरे किए जा चुके हैं । गांवों की कवरेज तथा उपलब्धि का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध** पर है ।

(ख)और(ग)- सरकार का शेष बचे गांवों/वासस्थलों, उनकी जनसंख्या का लिहाज किए बिना, को शामिल करते हुए आरजीजीवीवाई को निधियों की उपलब्धता के अनुसार 12वीं योजना में जारी रखने का प्रस्ताव है।

(घ)और(ङ)- अधिकांश राज्यों में आरजीजीवीवाई की प्रगति संतोषजनक है । तथापि, कुछ राज्यों में निम्नलिखित कारणों से प्रगति धीमी है-

i) अत्यंत दुर्गम क्षेत्र, खराब मौसम तथा पहुँच-मार्ग की समस्या, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों, तथा जम्मू एवं कश्मीर में ।
ii) झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे नक्सल प्रभावित राज्यों में कानून एवं व्यवस्था संबंधी गंभीर समस्याएं ।

iii) मणिपुर के उखरूल एवं सेनापति जिलों के संविदा संबंधी मुकदमे माननीय उच्च न्यायालय गुवाहाटी में लंबित हैं ।
iv) पूर्वोत्तर राज्यों में टर्नकी परियोजनाओं के लिए अनुभवी स्थानीय ठेकेदारों का उपलब्ध न होना ।

(च)- संविदाएं कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अवार्ड तथा निष्पादित की जाती हैं । कार्यों के पूरा होने में ठेकेदारों की वजह से, किसी प्रकार का विलंब होने से कार्यान्वयन एजेंसियां संविदा की शर्तों के अनुसार परिनिर्धारित क्षतियां/अर्थदंड लगाने के लिए उत्तरदायी होती हैं ।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 21.3.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 4091 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

****

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत गैर-विद्युतीकृत गांवों, आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों के गहन विद्युतीकरण की राज्य-वार कवरेज एवं उपलब्धि,

क्रम सं.	राज्य	गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण		आंशिक विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण	
		कवरेज**	संचयी उपलब्धि (28.02.2013तक)	कवरेज**	संचयी उपलब्धि (28.02.2013तक)
1	आंध्र प्रदेश *	0	0	27477	26823
2	अरुणाचल प्रदेश	2106	1624	1760	1045
3	असम	8326	7998	12984	12234
4	बिहार	23850	22645	19244	5048
5	छत्तीसगढ़	1594	954	17291	12143
6	गुजरात*	0	0	17667	16317
7	हरियाणा*	0	0	6511	4687
8	हिमाचल प्रदेश	95	83	10650	11198
9	जम्मू एवं कश्मीर	239	174	4442	2777
10	झारखण्ड	19071	18087	7106	5728
11	कर्नाटक	61	62	28119	24676
12	केरल*	0	0	1272	181
13	मध्य प्रदेश	843	566	49537	23558
14	महाराष्ट्र*	0	0	41739	36713
15	मणिपुर	882	616	1378	560
16	मेघालय	1866	1624	3239	2150
17	मिजोरम	137	94	570	346
18	नागालैण्ड	105	84	1140	1063
19	ओडिशा	14715	14340	29324	24515
20	पंजाब*	0	0	11840	0
21	राजस्थान	4339	4117	34783	32740
22	सिक्किम	25	25	418	383
23	तमिलनाडु*	0		10738	9673
24	त्रिपुरा	148	143	658	594
25	उत्तर प्रदेश	28439	27762	22980	2982
26	उत्तराखण्ड	1512	1511	9160	9221
27	पश्चिम बंगाल	4442	4185	24309	22268
	कुल	112795	106694	396336	289623

* आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब एवं तमिलनाडु राज्यों में, इन राज्यों द्वारा डीपीआर में किसी गैर-विद्युतीकृत गांव का प्रस्ताव नहीं किया गया था। तथापि, इन राज्यों में पहले से ही विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण किया जा रहा है।

** आरजीजीवीवाई के चरण-II के अंतर्गत 2011-12 के दौरान स्वीकृत 72 परियोजनाओं के 1909 गैर/निर्विद्युतीकृत गांव, 53505 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण करना शामिल है।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4093
जिसका उत्तर 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत–वितरण कंपनियों का वित्तीय पुनर्गठन

†4093. **श्री ए॰ साई प्रतापः**
श्री एस॰ एस॰ रामासुब्बूः
श्री अशोक अर्गलः
श्री एम॰ वेणुगोपाल रेड्डीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन विद्युत–वितरण कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने वित्तीय पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और इन पर सरकार द्वारा वितरण कंपनी–वार क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या अनेक विद्युत–वितरण कंपनियों द्वारा इस सिलसिले में केंद्र सरकार को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अभी शेष है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में कोई चर्चा हुई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय ने राज्यों की विद्युत–वितरण कंपनियों के ऋण शोधन के लिए वर्ष 2013–14 के दौरान 1200 करोड़ रु॰ के बजटीय आबंटन की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ प्राप्त बजट आबंटन का ब्यौरा क्या है?

8

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)और (ख) राज्य स्वामित्व की डिस्काम्स का वित्तीय पुनर्गठन करने की स्कीम, विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.10.2012 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा अधिसूचित की गई थी। यह स्कीम आदेश जारी करने की तारीख से प्रभावी हो गई थी और इसे दिनांक 21.01.2013 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा 31.3.2013 तक बढ़ाया गया। यह स्कीम संचयी हानियों वाली उन सभी प्रतिभागी राज्य स्वामित्व की डिस्काम्स के लिए उपलब्ध है और जो वित्तीय प्रचालनात्मक हानियों के वित्तपोषण में कठिनाई का सामना कर रही हैं।

राज्य स्वामित्व डिस्काम्स को वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफ.आर.पी.) तैयार करनी है और राज्य सरकार, ऋणदाताओं से अनुमोदन तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों का सिद्धांततः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

राजस्थान, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु और आन्ध्रप्रदेश की राज्य सरकारों ने एफ.आर.पी. स्कीम का हिस्सा बनने के लिए सिद्धांततः सहमति दे दी है और स्कीम की विभिन्न

अनिवार्य और सिफारिशी शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं। झारखंड, केरल और बिहार राज्यों ने भी इस स्कीम में शामिल होने की इच्छा जताई है।

(ग)- दिनांक 5.2.2013 को आयोजित छठे विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में, राज्य स्वामित्व की डिस्काम्स के वित्तीय पुनर्गठन के लिए स्कीम सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की किया गयी है और इस स्कीम के महत्व और तात्कालिकता पर बल दिया गया।

(घ) और (ड.)- विद्युत मंत्रालय की 2013-14 की वार्षिक योजना के बजट अनुमान में 1500 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव किया गया था और इसका आवंटन किया जा चुका है ।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4119
जिसका उत्तर 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

पावर ग्रिड से जुड़े गांव

4119. श्री मुरारी लाल सिंहः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बहुत सारे गांव किसी पावर ग्रिड से जुड़े हुए नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो छत्तीसगढ़ सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)और(ख)- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत, देश में छत्तीसगढ़ सहित 1,12,795 गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों (यूइवी) तथा 3,96,336 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों (पीईवी) के विद्युतीकरण को शामिल करते हुए 648 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं । 28.02.2013 की स्थिति के अनुसार, संचयी रूप से, 1,06,694 गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों तथा 2,89,623 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण कार्य पूरे किए जा चुके हैं । गांवों की कवरेज तथा उपलब्धि का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध** पर है ।

(ग)- सरकार का शेष बचे गांवों/वासस्थलों, उनकी जनसंख्या का लिहाज किए बिना को शामिल करते हुए आरजीजीवीवाई को निधियों की उपलब्धता के अनुसार 12वीं योजना में जारी रखने का प्रस्ताव है ।

****

□□□□□□

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 21.3.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 4119 के भाग (क)और(ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

****

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत गैर-विद्युतीकृत गांवों का आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण की राज्य-वार कवरेज एवं उपलब्धि,

क्रम सं.	राज्य	गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण		आंशिक विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण	
		कवरेज**	संचयी उपलब्धि (28.02.2013तक)	कवरेज**	संचयी उपलब्धि (28.02.2013तक)
1	आंध्र प्रदेश *	0	0	27477	26823
2	अरुणाचल प्रदेश	2106	1624	1760	1045
3	असम	8326	7998	12984	12234
4	बिहार	23850	22645	19244	5048
5	छत्तीसगढ़	1594	954	17291	12143
6	गुजरात*	0	0	17667	16317
7	हरियाणा*	0	0	6511	4687
8	हिमाचल प्रदेश	95	83	10650	11198
9	जम्मू एवं कश्मीर	239	174	4442	2777
10	झारखण्ड	19071	18087	7106	5728
11	कर्नाटक	61	62	28119	24676
12	केरल*	0	0	1272	181
13	मध्य प्रदेश	843	566	49537	23558
14	महाराष्ट्र*	0	0	41739	36713
15	मणिपुर	882	616	1378	560
16	मेघालय	1866	1624	3239	2150
17	मिजोरम	137	94	570	346
18	नागालैण्ड	105	84	1140	1063
19	ओडिशा	14715	14340	29324	24515
20	पंजाब*	0	0	11840	0
21	राजस्थान	4339	4117	34783	32740
22	सिक्किम	25	25	418	383
23	तमिलनाडु*	0		10738	9673
24	त्रिपुरा	148	143	658	594
25	उत्तर प्रदेश	28439	27762	22980	2982
26	उत्तराखण्ड	1512	1511	9160	9221
27	पश्चिम बंगाल	4442	4185	24309	22268
	कुल	112795	106694	396336	289623

* आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब एवं तमिलनाडु राज्यों में, इन राज्यों द्वारा डीपीआर में कोई गैर-विद्युतीकृत गांव का प्रस्ताव नहीं किया गया था। तथापि, इन राज्यों में पहले से ही विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण किया जा रहा है।

** आरजीजीवीवाई के चरण-II के अंतर्गत 2011-12 के दौरान स्वीकृत 72 परियोजनाओं के 1909 गैर/निर्विद्युतीकृत गांव, 53505 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण करना शामिल है।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4133
जिसका उत्तर 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

राष्ट्रीय विद्युत नीति

†**4133. डॉ॰ रत्ना डेः**
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान राष्ट्रीय विद्युत नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) राष्ट्रीय विद्युत नीति में किए गये नवीनतम संशोधनों का ब्यौरा क्या है और ये संशोधन कब किये गये थे;

(ग) एन॰के॰ सिंह समिति द्वारा इस संबंध में की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) निकट भविष्य में प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के अनुपालन में 12 फरवरी, 2005 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय विद्युत नीति अधिसूचित की गई थी। राष्ट्रीय विद्युत नीति की प्रमुख विशेषताएं **अनुबंध** पर दी गई हैं।

(ख) : अभी तक राष्ट्रीय विद्युत नीति में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

(ग) : अब तक इस संबंध में इस मंत्रालय में कोई विशिष्ट सिफारिश की जांच नहीं हुई है।

(घ) : उपर्युक्त (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

*****

लोक सभा में दिनांक 21.03.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4133 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

अनुबंध

राष्ट्रीय विद्युत नीति (2005) का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा मामले और विभिन्न संसाधनों का उपयोग करते हुए उत्पादन का अर्थशास्त्र, इन संसाधनों के दोहन हेतु उपलब्ध प्रौद्योगिकी ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं और अन्य पणधारकों के हितों को सुरक्षित रखते हुए और सभी क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति प्रदान करने, विद्युत क्षेत्र का त्वरित विकास करने के लिए दिशा-निर्देशों का पालन करना है।

इस नीति का लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नानुसार हैः-

- अगले पांच वर्षों में सभी घरों के लिए विद्युत उपलब्ध कराना है।
- वर्ष 2012 तक विद्युत की उपलब्धता- मांग को पूर्णतः पूरा किया जाना है। ऊर्जा और व्यस्ततमकालीन कमी को पूरा किया जाना और पर्याप्त स्पिनिंग रिजर्व उपलब्ध कराना।
- कुशल तरीके से और यथोचित दरों पर विशिष्ट मानकों का विश्वसनीय और गुणवत्ता विद्युत की आपूर्ति।
- वर्ष 2012 तक विद्युत की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता को 1000 यूनिटों से अधिक बढ़ाना।
- वर्ष 2012 तक एक अच्छे मेरिट के अनुसार न्यूनतम जीवन रेखा खपत 1 यूनिट/घरों/दिन करना।
- विद्युत क्षेत्र के वित्तीय टर्नराउंड और वाणिज्यिक व्यवहार्यता।
- उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा।

इसके अतिरिक्त, इस नीति में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा अल्पावधि और भावी योजना तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश हैं और यह नीति निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरणीय मामलों प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास, सह उत्पादन और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों सहित ग्रामीण विद्युतीकरण उत्पादन, पारेषण, वितरण, सेवाओं की लागत एवं लक्षित सब्सिडी की वसूली, तकनीकी विकास और अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी), उपभोक्ता लाभों पर लक्षितप्रतिस्पर्धा, वित्तीय विद्युत क्षेत्र कार्यक्रमों के मामलों के समाधान करती है।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4136
जिसका उत्तर 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

ताप विद्युत संयंत्र से प्रदूषण

†**4136. श्री दिलीप सिंह जूदेवः**
श्री जगदीश शर्माः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ताप विद्युत संयंत्र से उत्पन्न फ्लाई–ऐश आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहा है जिससे नजदीक में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है और समीप में होने वाली फसलों को हानि पहुंच रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में मौजूद ऐसे ताप विद्युत संयंत्रों विशेषकर कोराडी, खापरखेड़ा और सीपत ताप विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे विद्युत संयंत्रों के आसपास के पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के संबंध में किये गये सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है और फ्लाई–ऐश के प्रभाव को कम करने के लिए इन संयंत्रों द्वारा किये गये उपचारी उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन ताप विद्युत संयंत्रों में संस्थापित ऐश बैक फिल्टर/इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रीसिपिटेटर ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं और इन संयंत्रों के प्रबंधकों ने इनसे प्रदूषण को रोकने के लिए ऐसे और फिल्टरों को उपलब्ध कराए जाने की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो संयंत्र–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रदूषण को रोकने और प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों का संयंत्र–वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख)- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने सूचित किया है कि खापरखेड़ा और सीपत ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) पर सस्पेंडिड पार्टिक्यूलेट मैटर (एसपीएम) को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित अनुबंधित मानकों के भीतर बनाए रखा जाता है । तथापि, कोराडी टीपीपी पर एसपीएम स्तर निर्धारित मानकों से अधिक है ।

(ग) से (ड.)- सीपत और खापरखेड़ा टीपीपी पर हाई एफिशियंसी इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रीसिपिटेटर (ईएसपी) लगाए जाते हैं । कोराडी टीपीपी ने दिसंबर, 2012 में यूनिट-6 में 500 नये बैग फिल्टरों के साथ क्षतिग्रस्त बैग वाले फिल्टरों को बदल दिया है । कोराडी टीपीपी ने महाजेनको मुख्यालय से 8000 बैगों की मांग की है, जिसने बैगों को पूर्ण रूप से बदलने के लिए प्रस्ताव का समर्थन किया

है । कोराडी टीपीपी ईएसपी, बैग फिल्टर हाऊस, प्रभावी उपचार संयंत्र और राख जल वसूली प्रणाली का अनुरक्षण कर रही है । इसके अतिरिक्त, कोराडी टीपीपी ने उत्सर्जन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

(i) यूनिट-5 की बैग फिल्टर प्रणाली में बैगों को पूर्ण रूप से बदलने (7500) का कार्य नवंबर, 2012 में पूरा हो गया है ।

(ii) यूनिट-6 के लिए बैगों को पूर्ण रूप से बदलने का कार्य (8500) मार्च, 2013 तक संभावित है ।

(iii) इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रीसिपिटेटर्स (ईएसपी) के उन्नयन का कार्य जून, 2013 में संभावित है ।

(iv) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित मानक को प्राप्त करने के लिए नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य हेतु कार्य योजना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की गई है ।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4139
जिसका उत्तर 21 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

फ्लाई–ऐश का उपयोग

†**4139. श्री पी॰आर॰ नटराजनः**
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आज की तिथि के अनुसार फ्लाई–ऐश के उपयोग के संबंध में कोई विश्लेषण किया है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें फ्लाई–ऐश और बॉटम–ऐश का उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग करने के लिए की गई/प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)- जी, हाँ, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण(सीईए) 1996-97 से कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत स्टेशनों पर फ्लाई ऐश के उत्पादन और उपयोग की निगरानी कर रहा है ।

(ख)- फ्लाई ऐश का उपयोग निचले क्षेत्र के सुधार में, खान को भरने में, ऐश डाइकों को ऊँचा करने में और कृषि में सीमेंट के विनिर्माण, उत्पादन, राजमार्गों सड़कों और पुलों, ईंटों, टाइलों, ब्लाकों आदि के निर्माण में किया जा रहा है ।

(ग)- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय(एमओईएफ) ने चरणबद्ध ढंग से 100% उपयोग को प्राप्त करने के लिए सभी कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत स्टेशनों द्वारा फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए अधिसूचनाएँ जारी की हैं । भारत सरकार द्वारा निर्धारित कुछ पहलें निम्नवत हैं-

i) सभी ताप विद्युत स्टेशनों द्वारा सीमेंट और अन्य प्रयोगकर्ता उद्योगों को सूखी ऐश उपलब्ध करवाना ।

ii) फ्लाई ऐश या क्ले फ्लाई ऐश की ईटों, ब्लाकों और टाइलों का उत्पादन करने वाले यूनिटों को सभी ताप विद्युत स्टेशनों द्वारा कम-से-कम 20% सूखी फ्लाई ऐश निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता है ।

iii) क्ले फ्लाई ऐश उत्पाद वाले विनिर्माण यूनिटों, किसानों तथा राज्य सड़क निर्माण एजेंसियों, सार्वजनिक कार्य विभागों सहित ईटों, ब्लाकों या टाइलों के विनिर्माणकर्ताओं को और खानों की बैक फिलिंग अथवा स्टोइंग में लगी हुई एजेंसियों को "जहाँ है जैसा है" के आधार पर सभी विद्युत स्टेशनों द्वारा जलाशय राख निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता है ।

****